काला धन (अप्रकटित विदेशी आय और आस्ति) और कर अधिरोपण अधिनियम, 2015

(2015 का अधिनियम संख्यांक 22)

[26 मई, 2015]

काले धन अर्थात् अप्रकटित विदेशी आय और आस्तियों की समस्या से निपटने के लिए, ऐसी आय और आस्तियों के संबंध में कार्रवाई करने की प्रक्रिया के लिए उपबंध करने तथा भारत के बाहर धारित किसी अप्रकटित विदेशी आय और आस्ति पर कर अधिरोपण का तथा उनसे संबंधित या उनके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने के लिए अधिनियम

भारत गणराज्य के छियासठवें वर्ष में संसद् द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो:—

अध्याय 1

प्रारम्भिक

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ—(1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम काला धन (अप्रकटित विदेशी आय और आस्ति) और कर अधिरोपण अधिनियम, 2015 है ।

(2) इसका विस्तार संपूर्ण भारत पर है ।

(3) इस अधिनियम में, जैसा अन्यथा उपबंधित है, उसके सिवाय यह 1 अप्रैल, 2016 को प्रवृत्त होगा ।

2. परिभाषाएं—इस अधिनियम में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,—

(1) "अपील अधिकरण" से, आय-कर अधिनियम की धारा 252 के अधीन गठित अपील अधिकरण अभिप्रेत है;

(2) "निर्धारिती" से ऐसा कोई व्यक्ति अभिप्रेत है, जो आय-कर अधिनियम की धारा 6 के खंड (6) के अर्थांतर्गत भारत में मामूली तौर पर ऐसा कोई निवासी न होने से भिन्न कोई निवासी है जिससे अप्रकटित विदेशी आय और आस्तियों या किसी अन्य धनराशि के संबंध में इस अधिनियम के अधीन कर संदेय है और इसके अंतर्गत ऐसा प्रत्येक व्यक्ति भी है, जिसे इस अधिनियम के अधीन व्यतिक्रमी निर्धारिती समझा जाता है;

(3) "निर्धारण" के अंतर्गत पुनर्निर्धारण भी है;

(4) "निर्धारण वर्ष" से प्रति वर्ष अप्रैल के प्रथम दिन को प्रारंभ होने वाली बारह मास की अवधि अभिप्रेत है;

(5) "बोर्ड" से, केन्द्रीय राजस्व बोर्ड अधिनियम, 1963 (1963 का 54) के अधीन गठित केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड अभिप्रेत है;

(6) "आय-कर अधिनियम" से आय-कर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) अभिप्रेत है;

(7) "सहभागी" से,—

(क) किसी फर्म के संबंध में कोई भागीदार; या

(ख) व्यक्तियों के संगम या व्यष्टियों के निकाय के संबंध में कोई सदस्य,

अभिप्रेत है;

(8) "विहित" से इस अधिनियम के अधीन बनाए गए नियमों द्वारा विहित अभिप्रेत है;

(9) "पूर्ववर्ष" से,—

(क) किसी कारबार के गठन की तारीख से आरंभ होने वाली और कारबार के बंद होने की तारीख को या ऐसे कारबार के गठन की तारीख के बाद मार्च के इकतीसवें दिन को, इनमें से जो भी पूर्ववर्ती हो, समाप्त होने वाली अवधि;

(ख) उस तारीख से, जिसको आय का कोई नया स्रोत अस्तित्व में आता है, आरंभ होने वाली और कारबार के बन्द होने की तारीख को या ऐसे नए स्रोत के अस्तित्व में आने के बाद मार्च के इकतीसवें दिन को, इनमें से जो भी पूर्ववर्ती हो, समाप्त होने वाली अवधि;

(ग) वित्तीय वर्ष के प्रथम दिन से आरंभ होने वाली और, यथास्थिति, खंड (ख) में निर्दिष्ट कारबार से भिन्न कारबार के बंद होने या किसी अनिगमित निकाय का विघटन होने या किसी कंपनी का परिसमापन होने की तारीख को समाप्त होने वाली अवधि; या

(घ) किसी अन्य मामले में, सुसंगत वर्ष के अप्रैल के प्रथम दिन को प्रारंभ होने वाली बारह मास की अवधि,

और जो निर्धारण वर्ष के ठीक पूर्व आती है अभिप्रेत है;

(10) "निवासी" से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है, जो आय-कर अधिनियम की धारा 6 के अर्थान्तर्गत भारत में निवासी है;

(11) "भारत के बाहर अवस्थित अप्रकटित आस्ति" से भारत के बाहर अवस्थित ऐसी कोई आस्ति (जिसके अंतर्गत किसी इकाई में वित्तीय हित भी है) अभिप्रेत है, जो निर्धारिती द्वारा अपने नाम में धारण की हुई है या जिसके संबंध में वह हिताधिकारी स्वामी है और उसके पास ऐसी आस्ति में विनिधान के स्रोत के बारे में कोई स्पष्टीकरण नहीं है या उसके द्वारा दिया गया स्पष्टीकरण निर्धारण अधिकारी की राय में असमाधानप्रद है;

(12) "अप्रकटित विदेशी आय और आस्ति" से धारा 4 में निर्दिष्ट तथा धारा 5 में अधिकथित रीति से संगणित भारत के बाहर अवस्थित किसी स्रोत से किसी निर्धारिती की अप्रकटित आय तथा भारत के बाहर अवस्थित किसी अप्रकटित आस्ति के मूल्य की कुल रकम अभिप्रेत है;

(13) "अनिगमित निकाय" से अभिप्रेत है,—

(क) कोई फर्म;

(ख) कोई व्यक्ति-संगम; या

(ग) कोई व्यष्टि-निकाय;

(14) "अप्रकटित आस्ति को मूल्य" का वही अर्थ होगा, जो धारा 3 की उपधारा (2) में उसका है,

(15) उन सभी शब्दों और पदों के, जो इसमें प्रयुक्त हैं, किंतु परिभाषित नहीं हैं और आय-कर अधिनियम में परिभाषित हैं, वे ही अर्थ होंगे, जो उस अधिनियम में उनके हैं।

अध्याय 2

प्रभारण का आधार

3. कर का प्रभारण—(1) प्रत्येक निर्धारिती पर 1 अपैल, 2016 को या उसके पश्चात् प्रारंभ होने वाले प्रत्येक निर्धारण वर्ष के लिए, इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन रहते हुए, पूर्ववर्ष की उसकी कुल अप्रकटित विदेशी आय और आस्ति के संबंध में ऐसी अप्रकटित आय और आस्ति के तीस प्रतिशत की दर से कर प्रभारित किया जाएगा :

परंतु भारत के बाहर अवस्थित किसी अप्रकटित आस्ति पर उस पूर्ववर्ष के, जिसमें ऐसी आस्ति, निर्धारण अधिकारी की जानकारी में आती है, उसके मूल्य पर कर प्रभारित किया जाएगा।

(2) इस धारा के प्रयोजनों के लिए, "अप्रकटित आस्ति का मूल्य" से ऐसी रीति से, जो विहित की जाए, किसी आस्ति (जिसके अंतर्गत किसी इकाई में वित्तीय हित भी है) का अवधारित उचित बाजार मूल्य अभिप्रेत है।

4. अप्रकटित विदेशी आय और आस्ति की व्याप्ति—(1) इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन रहते हुए, किसी निर्धारिती की किसी पूर्ववर्ष की कुल अप्रकटित विदेशी आय और आस्ति निम्नलिखित होगी,—

(क) भारत के बाहर अवस्थित किसी स्रोत से ऐसी आय, जिसे आय-कर अधिनियम की धारा 139 की उपधारा (1) के स्पष्टीकरण 2 में विनिर्दिष्ट समय के भीतर या उपधारा (4) या उपधारा (5) के अधीन प्रस्तुत की गई आय की विवरणी में प्रकट नहीं किया गया है;

(ख) भारत के बाहर अवस्थित किसी स्रोत से ऐसी आय, जिसके संबंध में आय-कर अधिनियम की धारा 139 के अधीन विवरणी प्रस्तुत करना अपेक्षित है, किंतु उक्त अधिनियम की धारा 139 की उपधारा (1) के स्पष्टीकरण 2 में विनिर्दिष्ट समय के भीतर या उपधारा (4) या उपधारा (5) के अधीन कोई विवरणी प्रस्तुत नहीं की गई है; और

(ग) भारत के बाहर अवस्थित किसी अप्रकटित आस्ति का मूल्य।

(2) उपधारा (1) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, आय-कर अधिनियम के अधीन उक्त अधिनियम की धारा 29 से धारा 43ग या धारा 57 से धारा 59 या धारा 92ग के उपबंधों के अनुसार निर्धारिती की किसी पूर्ववर्ष की कुल आय के निर्धारण या पुनर्निर्धारण में, भारत के बाहर किसी स्रोत से हुई आय में किए गए किसी परिवर्तन को कुल अप्रकटित विदेशी आय में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

(3) इस अधिनियम के अधीन कुल अप्रकटित विदेशी आय और आस्ति में सम्मिलित आय, आय-कर अधिनियम के अधीन कुल आय का भागरूप नहीं होगी।

5. कुल अप्रकटित विदेशी आय और आस्ति की संगणना—(1) निर्धारिती की किसी पूर्ववर्ष की कुल अप्रकटित विदेशी आय और आस्ति की संगणना में,—

(i) निर्धारती के किसी व्यय या मोक के संबंध में ऐसी कोई कटौती या किसी हानि का मुजरा अनुज्ञात नहीं किया जाए, चाहे वह आय-कर अधिनियम के उपबंधों के अनुसार अनुज्ञेय है अथवा नहीं;

(ii) ऐसी किसी आय को,—

(क) जिसमें उस निर्धारण वर्ष के पूर्व, जिसको यह अधिनियम लागू होता है, आय-कर अधिनियम के अधीन किसी निर्धारण वर्ष के लिए कर का निर्धारण किया गया है; या

(ख) जिस पर इस अधिनियम के अधीन किसी निर्धारण वर्ष के लिए कर निर्धारणीय है या निर्धारित किया गया है,

भारत के बाहर अवस्थित अप्रकटित आस्ति के मूल्य से घटा दिया जाएगा, यदि निर्धारिती निर्धारण अधिकारी के समाधानप्रद रूप में यह साक्ष्य प्रस्तुत कर देता है कि ऐसी आस्ति का अर्जन उस आय से किया गया है, जिसका, यथास्थिति, कर के लिए निर्धारण किया जा चुका है या जो कर के लिए निर्धारणीय है ।

(2) उपधारा (1) के खंड (ii) में निर्दिष्ट कटौती की रकम, किसी स्थावर संपत्ति की दशा में, वह रकम होगी, जिसका आस्ति मूल्य उस वित्तीय वर्ष के, जिसमें निर्धारण अधिकारी की जानकारी में वह आती है, प्रथम दिन को उसी अनुपात में है, जो निर्धारणीय या निर्धारित की गई विदेशी आय की आस्ति की कुल लागत से है ।

दृष्टांत

निर्धारिती द्वारा भारत के बाहर अवस्थित एक गृह संपत्ति पूर्ववर्ष 2009-10 में पचास लाख रुपए में अर्जित की गई थी । पचास लाख रुपए के विनिधान में से बीस लाख रुपए पर पूर्ववर्ष 2009-10 तथा उससे पूर्व वर्षों में की कुल आय पर कर का निर्धारण किया गया था । ऐसी अप्रकटित आस्ति निर्धारण अधिकारी की जानकारी में वर्ष 2017-18 में आती है । यदि वर्ष 2017-18 में आस्ति का मूल्य एक करोड़ रुपए है, तो कर से प्रभार्य रकम ए - बी = सी होगी,

जहां कि,—

ए = एक करोड़ रुपए, बी = (100x20/50) लाख रुपए = 40 लाख रुपए, सी = (100-40) लाख रुपए = 60 लाख रुपए होगी ।

अध्याय 3

कर प्रबंधन

6. कर प्राधिकारी—(1) आय-कर अधिनियम की धारा 116 में विनिर्दिष्ट आय-कर प्राधिकारी इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए कर प्राधिकारी होंगे ।

(2) प्रत्येक ऐसा प्राधिकारी अपनी अधिकारिता के भीतर आने वाले किसी व्यक्ति के संबंध में इस अधिनियम के अधीन किसी कर प्राधिकारी की शक्तियों का प्रयोग और कृत्यों का निर्वहन करेगा ।

(3) उपधारा (4) के उपबंधों के अधीन रहते हुए, इस अधिनियम के अधीन किसी कर प्राधिकारी की अधिकारिता वही होगी जैसी उसे आय-कर अधिनियम की धारा 120 के अधीन या उस अधिनियम के किसी अन्य उपबंध के अधीन जारी किए गए आदेशों या निदेशों (जिसके अंतर्गत समवर्ती अधिकारिता समनुदिष्ट करने संबंधी आदेश या निदेश भी हैं) के आधार पर उस अधिनियम के अधीन प्राप्त है ।

(4) ऐसे किसी निर्धारिती के संबंध में, जिसकी आय-कर अधिनियम के अधीन आय-कर से निर्धारणीय कोई आय नहीं है, अधिकारिता रखने वाला कर प्राधिकारी उस क्षेत्र के संबंध में, जिसमें निर्धारिती निवास करता है या अपना कारबार चलाता है या उसके कारबार का मुख्य स्थान है, अधिकारिता रखने वाला कर प्राधिकारी होगा ।

(5) आय-कर अधिनियम की धारा 118 और उसके अधीन जारी की गई कोई अधिसूचना कर प्राधिकारियों के नियंत्रण के संबंध में वैसे ही लागू होगी जैसे वह तत्समान आय-कर प्राधिकारियों के नियंत्रण के संबंध में उस विस्तार तक के सिवाय लागू होती, जिस तक बोर्ड, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, किसी कर प्राधिकारी के संबंध में अन्यथा निदेश दे ।

7. पदधारी की तब्दीली—(1) ऐसा कर प्राधिकारी, जो अधिकारिता में तब्दीली के परिमाणस्वरूप या किसी अन्य कारण से दूसरे प्राधिकारी का उत्तराधिकारी होता है, उस प्रक्रम से, जिस पर उसके पूर्वाधिकारी द्वारा उसे छोड़ा गया था, कार्यवाहियां जारी रखेगा ।

(2) ऐसे किसी मामले में निर्धारिती को सुने जाने का अवसर, यदि वह उसके मामले में कोई आदेश पारित किए जाने के पूर्व इस प्रकार लिखित अनुरोध करता है, दिया जा सकेगा ।

8. साक्ष्य के प्रकटीकरण और पेश किए जाने के बारे में शक्तियां—(1) विहित कर प्राधिकारी को, इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए वही शक्तियां प्राप्त होंगी, जो निम्नलिखित विषयों के संबंध में किसी वाद का विचारण करते समय सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (1908 का 5) अधीन किसी न्यायालय में निहित होती हैं, अर्थात्:—

(क) प्रकटीकरण और निरीक्षण;

(ख) किसी व्यक्ति को, जिसके अंतर्गत बैंककारी कंपनी का कोई अधिकारी भी है, हाजिर कराना और शपथ पर उसकी परीक्षा करना;

(ग) लेखा बहियों और अन्य दस्तावेजों के पेश किए जाने के लिए बाध्य करना; और

(घ) कमीशन निकालना ।

(2) विहित कर प्राधिकारी में, कोई जांच या अन्वेषण करने के प्रयोजनों के लिए, उपधारा (1) में निर्दिष्ट शक्तियां, चाहे उसके समक्ष कोई कार्यवाहियां लंबित हों या नहीं, निहित की जाएंगी ।

(3) उपधारा (1) या उपधारा (2) के प्रयोजनों के लिए विहित कोई कर प्राधिकारी, इस निमित्त बनाए गए नियमों के अधीन रहते हुए, उसके समक्ष पेश की गई किन्हीं लेखा बहियों या अन्य दस्तावेजों को जब्त कर सकेगा और उन्हें ऐसी अवधि के लिए, जो वह उचित समझे, अपनी अभिरक्षा में रख सकेगा ।

(4) आयुक्त की पंक्ति से नीचे का कोई भी कर प्राधिकारी,—

(क) कोई लेखा बहियां या अन्य दस्तावेज जब्त किए जाने के अपने कारणों को लेखबद्ध किए बिना ऐसा नहीं करेगा; या

(ख) ऐसी कोई बहियां या दस्तावेज, प्रधान मुख्य आयुक्त या मुख्य आयुक्त या प्रधान आयुक्त या आयुक्त का अनुमोदन अभिप्राप्त किए बिना तीस दिन से अधिक अवधि के लिए अपनी अभिरक्षा में नहीं रखेगा ।

9. कर प्राधिकारियों के समक्ष की कार्यवाहियों का न्यायिक कार्यवाहियां होना—(1) इस अधिनियम के अधीन किसी कर प्राधिकारी के समक्ष की किसी कार्यवाही को भारतीय दंड संहिता (1860 का 45) की धारा 193 और धारा 228 के अर्थान्तर्गत तथा धारा 196 के प्रयोजनों के लिए न्यायिक कार्यवाही समझा जाएगा ।

(2) प्रत्येक कर प्राधिकारी को दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2) की धारा 195 के प्रयोजनों के लिए, न कि उसके अध्याय 26 के प्रयोजनों के लिए सिविल न्यायालय समझा जाएगा ।

10. निर्धारण—(1) इस अधिनियम के अधीन निर्धारण या पुनर्निर्धारण करने के प्रयोजनों के लिए, निर्धारण अधिकारी, आय-कर अधिनियम के अधीन किसी आय-कर प्राधिकारी या तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन किसी अन्य प्राधिकारी से सूचना मिलने पर या उसकी जानकारी में कोई सूचना आने पर ऐसे किसी व्यक्ति पर उससे उस तारीख को, जो विनिर्दिष्ट की जाए, ऐसे लेखे या दस्तावेज या साक्ष्य, जिनकी निर्धारण अधिकारी इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए अपेक्षा करे, पेश करने या कराने की अपेक्षा करते हुए सूचना की तामील कर सकेगा और ऐसे अन्य लेखे या दस्तावेज या साक्ष्य, जिनकी वह अपेक्षा करे, पेश करने की अपेक्षा करते हुए, समय-समय पर अतिरिक्त सूचनाओं की तामील कर सकेगा ।

(2) निर्धारण अधिकारी, ऐसी जांच कर सकेगा, जो वह किसी व्यक्ति की सुसंगत वित्तीय वर्ष या वर्षों के लिए अप्रकटित विदेशी आय और आस्ति के संबंध में पूर्ण जानकारी अभिप्राप्त करने के प्रयोजन के लिए आवश्यक समझे ।

(3) निर्धारण अधिकारी, ऐसे लेखाओं, दस्तावेजों या साक्ष्य पर, जो उपधारा (1) के अधीन अभिप्राप्त किए हों, विचार करने के पश्चात् तथा ऐसी किसी सुसंगत सामग्री पर जो उसने उपधारा (2) के अधीन एकत्र की हो और निर्धारिती द्वारा पेश किए गए किसी अन्य साक्ष्य पर, विचार करने के पश्चात्, लिखित आदेश द्वारा, अप्रकटित विदेशी आय और आस्ति का निर्धारण करेगा और निर्धारिती द्वारा संदेय राशि का अवधारण करेगा ।

(4) यदि कोई व्यक्ति उपधारा (1) के अधीन की सूचना के निबंधनों का पालन करने में असफल रहता है तो निर्धारण अधिकारी ऐसी सभी सुसंगत सामग्री पर, जो उसने एकत्र की हो, विचार करने के पश्चात् और निर्धारिती को सुनवाई का अवसर देने के पश्चात्, अपने सर्वोत्तम निर्णय के अनुसार अप्रकटित विदेशी आय और आस्ति का निर्धारण करेगा और निर्धारिती द्वारा संदेय राशि का अवधारण करेगा ।

11. निर्धारण और पुनर्निर्धारण पूरा करने की समय-सीमा—(1) धारा 10 के अधीन निर्धारण या पुनर्निर्धारण का कोई आदेश उस वित्तीय वर्ष के अंत से, जिसमें निर्धारण अधिकारी द्वारा, धारा 10 की उपधारा (1) के अधीन सूचना जारी की गई थी, दो वर्ष की समाप्ति के पश्चात् नहीं किया जाएगा ।

(2) उपधारा (1) में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, धारा 18 के अधीन पारित किसी निर्धारण को अपास्त या रद्द करने संबंधी आदेश के अनुसरण में नए सिरे से निर्धारण का आदेश उस वित्तीय वर्ष के, जिसमें धारा18 के आदेश अधीन पारित, प्रधान आयुक्त या आयुक्त द्वारा, प्राप्त किया जाता है, अंत से दो वर्ष की अवधि की समाप्ति के पूर्व किसी भी समय किया जा सकेगा ।

(3) उपधारा (1) के उपबंध इस अधिनियम की धारा 15 या धारा 18 या धारा 19 या धारा 22 के अधीन किसी आदेश में या इस अधिनियम के अधीन किसी अपील के रूप में किसी कार्यवाही से भिन्न किसी कार्यवाही में किसी न्यायालय के किसी आदेश में अंतर्विष्ट किसी निष्कर्ष या निदेश के परिमाणस्वरूप या उसे प्रभावी करने के लिए किए गए निर्धारण या पुनर्निर्धारण को लागू नहीं होंगे और ऐसा निर्धारण या पुनर्निर्धारण उपधारा (2) के उपबंधों के अधीन रहते हुए उस वित्तीय वर्ष के, जिसमें ऐसा आदेश प्रधान आयुक्त या आयुक्त द्वारा प्राप्त किया जाता है, अंत से दो वर्ष की अवधि की समाप्ति के पूर्व किसी भी समय पूरा किया जा सकेगा ।

स्पष्टीकरण 1—इस धारा के प्रयोजन के लिए, परिसीमा काल की संगणना करने में,—

(i) संपूर्ण कार्यवाही या उसके भाग को पुन: खोले जाने में लगे समय को; या

(ii) उस अवधि को, जिसके दौरान निर्धारण की कार्यवाही पर किसी न्यायालय के आदेश या व्यादेश द्वारा रोक लगा दी जाती है, या

(iii) उस तारीख से, जिसको किसी सक्षम प्राधिकारी द्वारा आय-कर अधिनियम की धारा 90 या धारा 90क में या इस अधिनियम की धारा 73 के अधीन निर्दिष्ट करार के अधीन सूचना के आदान-प्रदान के लिए किसी निर्देश या किन्हीं निर्देशों में से प्रथम निर्देश किया जाता है, प्रारंभ होने वाली और उस तारीख को, जिसको इस प्रकार अनुरोध की गई सूचना प्रधान आयुक्त या आयुक्त द्वारा अंतिम बार प्राप्त की जाती है, समाप्त होने वाली अवधि या एक वर्ष की अवधि को, इनमें से जो भी कम हो,

अपवर्जित किया जाएगा :

परंतु जहां पूर्वोक्त समय या अवधि का अपवर्ज न किए जाने के ठीक पश्चात्, निर्धारण अधिकारी को, यथास्थिति, निर्धारण या पुनर्निर्धारण का आदेश करने के लिए उपधारा (1), उपधारा (2) और उपधारा (3) में निर्निष्ट उपलब्ध परिसीमा काल साठ दिन से कम का है, वहां ऐसी शेष अवधि को साठ दिन तक के लिए बढ़ा दिया जाएगा और पूर्वोक्त परिसीमा काल तदनुसार बढ़ाया गया समझा जाएगा ।

स्पष्टीकरण 2—जहां उपधारा (3) में निर्दिष्ट किसी आदेश द्वारा किसी अप्रकटित विदेशी आय और आस्ति को किसी निर्धारिती के संबंध में किसी निर्धारण वर्ष की कुल अप्रकटित विदेशी आय और आस्ति से अपवर्जित किया जाता है, वहां दूसरे निर्धारण वर्ष के लिए ऐसी अप्रकटित विदेशी आय और आस्ति के निर्धारण को, धारा 10 और इस धारा के प्रयोजनों के लिए, ऐसा निर्धारण समझा जाएगा, जो उक्त आदेश में अंतर्विष्ट किसी निष्कर्ष या निदेश के परिमाणस्वरूप या उसे प्रभावी करने के लिए किया गया है ।

12. भूल सुधार—(1) कोई कर प्राधिकारी इस अधिनियम के अधीन उसके द्वारा पारित किसी आदेश को संशोधित कर सकेगा, जिससे कि अभिलेख से प्रकट किसी भूल को सुधारा जा सके ।

(2) इस धारा के अधीन कोई संशोधन उस वित्तीय वर्ष के, जिसमें वह आदेश, जिसको संशोधित किए जाने की ईप्सा की गई थी, पारित किया गया था, अंत से चार वर्ष की अवधि के पश्चात् नहीं किया जाएगा ।

(3) कर प्राधिकारी ऐसा कोई संशोधन, जिसका प्रभाव अप्रकटित विदेशी आय और आस्ति में वृद्धि करने या किसी प्रतिदाय को कम करने का अथवा निर्धारिती के दायित्व को अन्यथा बढ़ाने का है, संबंधित प्राधिकारी द्वारा निर्धारिती को सुनवाई का अवसर प्रदान किए जाने पर ही करेगा, अन्यथा नहीं ।

(4) संबंधित कर प्राधिकारी इस धारा के अधीन कोई संशोधन,—

(क) स्वप्रेरणा से; या

(ख) यथास्थिति, निर्धारिती या निर्धारण अधिकारी द्वारा उसे आवेदन किए जाने पर,

कर सकेगा ।

(5) किसी आदेश का संशोधन करने के लिए कर प्राधिकारी द्वारा प्राप्त किसी आवेदन का विनिश्चय उस मास के, जिसमें ऐसा आवेदन उसके द्वारा प्राप्त किया जाता है, अंत से छह मास की अवधि के भीतर किया जाएगा ।

(6) ऐसे किसी मामले में, जहां कोई आदेश अपील या पुनरीक्षण में किया गया है, कर प्राधिकारी की आदेश को संशोधित करने की शक्ति उन मामलों से, जिनका कि विनिश्चय अपील या पुनरीक्षण में किया गया है, भिन्न मामलों तक निर्बंधित होगी ।

13. मांग की सूचना—इस अधिनियम के अधीन किए गए किसी आदेश के परिमाणस्वरूप संदेय किसी राशि की मांग कर प्राधिकारी द्वारा निर्धारिती पर मांग की सूचना की, ऐसे प्ररूप में और ऐसी रीति से, जो विहित की जाए, तामील करने पर की जाएगी ।

14. प्रत्यक्ष निर्धारण या वसूली का वर्जित न होना—इस अध्याय में की कोई बात ऐसे किसी व्यक्ति का, जिसकी ओर से या जिसके फायदे के लिए भारत के बाहर अवस्थित किसी स्रोत से अप्रकटित आय प्राप्य है या भारत के बाहर अवस्थित अप्रकटित आस्ति धारित की गई है, प्रत्यक्ष निर्धारण किए जाने या ऐसे व्यक्ति से ऐसी आय और आस्ति के संबंध में संदेय कर या किसी अन्य धनराशि की वसूली किए जाने से निवारित नहीं करेगी ।

15. आयुक्त (अपील) को अपीलें—(1) ऐसा कोई भी व्यक्ति आयुक्त (अपील) को अपील कर सकेगा जो, (क) ऐसी अप्रकटित विदेशी आय और आस्ति पर, जिसके लिए उसका निर्धारण अधिकारी द्वारा निर्धारण किया गया है, कर की रकम के प्रति आक्षेप करता है; या (ख) इस अधिनियम के अधीन निर्धारण किए जाने के अपने दायित्व से इंकार करता है; या (ग) निर्धारण अधिकारी द्वारा अधिरोपित किसी शास्ति के प्रति आक्षेप करता है; या (घ) परिशुद्धि के ऐसे किसी आदेश के प्रति, जिसका प्रभाव निर्धारण में वृद्धि या प्रतिदाय को कम किए जाने का है, आक्षेप करता है; या (ङ) धारा 12 के अधीन किसी परिशुद्धि के लिए निर्धारिती द्वारा किए गए दावे को मंजूर करने से इंकार करने संबंधी किसी आदेश के प्रति आक्षेप करता है ।

(2) प्रत्येक अपील ऐसे प्ररूप में फाइल की जाएगी और ऐसी रीति से सत्यापित की जाएगी और उसके साथ ऐसी फीस होगी, जो विहित की जाए ।

(3) कोई अपील—

(क) निर्धारण या शास्ति से संबंधित मांग की सूचना की तामील की तारीख से; या

(ख) किसी अन्य मामले में उस तारीख से, जिसको उस आदेश की, जिसके विरुद्ध अपील किए जाने की ईप्सा की गई है, संसूचना की तामील की जाती है,

तीस दिन की अवधि के भीतर प्रस्तुत की जाएगी ।

(4) आयुक्त (अपील) उपधारा (3) में निर्दिष्ट अवधि की समाप्ति के पश्चात् अपील ग्रहण कर सकेगा, यदि—

(क) उसका यह समाधान हो जाता है कि अपीलार्थी के पास उस अवधि के भीतर अपील प्रस्तुत न करने का पर्याप्त कारण था; और

(ख) अपील करने में विलंब एक वर्ष की अवधि से अधिक का नहीं है ।

(5) आयुक्त (अपील), अपील की सुनवाई और उसका अवधारण करेगा तथा इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन रहते हुए ऐसे आदेश पारित करेगा, जो वह ठीक समझे और ऐसे आदेशों के अंतर्गत निर्धारण या शास्ति में वृद्धि करने का आदेश भी हो सकेगा:

परंतु निर्धारण या शास्ति में वृद्धि करने संबंधी कोई आदेश तब तक नहीं किया जाएगा, जब तक निर्धारिती को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर नहीं दे दिया गया हो ।

16. अपील में अनुसरण की जाने वाली प्रक्रिया—(1) आयुक्त (अपील), अपील की सुनवाई के लिए तारीख और स्थान नियत करेगा तथा उसकी सूचना अपीलार्थी और उस निर्धारण अधिकारी को, जिसके आदेश के विरुद्ध अपील की गई है, देगा ।

(2) अपील की सुनवाई में निम्नलिखित को सुने जाने का अधिकार होगा, अर्थात्:—

(क) अपीलार्थी या तो स्वयं या किसी प्राधिकृत प्रतिनिधि द्वारा;

(ख) निर्धारण अधिकारी या तो स्वयं या किसी प्रतिनिधि द्वारा ।

(3) आयुक्त (अपील) जब कभी आवश्यक और समीचीन समझे, अपील की सुनवाई स्थगित कर सकेगा ।

(4) आयुक्त (अपील), किसी अपील का निपटारा करने के पूर्व ऐसी अतिरिक्त जांच कर सकेगा, जो वह ठीक समझे ।

(5) आयुक्त (अपील), उसके समक्ष की कार्यवाहियों के दौरान, निर्धारण अधिकारी को विधि या तथ्य के किसी प्रश्न से उद्‌भूत होने वाले बिन्दुओं पर जांच करने और उसको उसकी रिपोर्ट देने का निदेश दे सकेगा ।

(6) आयुक्त (अपील), अपील की सुनवाई में अपीलार्थी को अपील के ऐसे किसी आधार पर, जो अपील के आधारों में विनिर्दिष्ट नहीं है, चर्चा करने की अनुज्ञा दे सकेगा, यदि आयुक्त (अपील) का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा लोप जानबूझकर नहीं किया गया था या वह अयुक्तियुक्त नहीं था ।

(7) आयुक्त (अपील) का अपील के निपटारे का आदेश लिखित में होगा और उसमें अवधारणार्थ बिन्दुओं, उन पर किए गए विनिश्चय और उसके कारणों का कथन होगा ।

(8) आयुक्त (अपील) द्वारा, धारा 15 के अधीन की गई प्रत्येक अपील की सुनवाई और उसका निपटारा यथासंभव शीघ्रता से किया जाएगा और ऐसी अपील को उस वित्तीय वर्ष की समाप्ति से, जिसमें अपील की गई है, एक वर्ष की अवधि के भीतर निपटाने का प्रयास किया जाएगा ।

(9) अपील के निपटारे पर आयुक्त (अपील) अपने द्वारा पारित आदेश, निर्धारिती और प्रधान मुख्य आयुक्त या मुख्य आयुक्त या प्रधान आयुक्त या आयुक्त को संसूचित करेगा ।

17. आयुक्त (अपील) की शक्तियां—(1) किसी अपील का निपटारा करने में आयुक्त (अपील) को निम्नलिखित शक्तियां होंगी, अर्थात्:—

(क) निर्धारण के किसी आदेश के विरुद्ध किसी अपील में वह निर्धारण की पुष्टि, उसमें कमी, वृद्धि या उसे बातिल कर सकेगा;

(ख) शास्ति अधिरोपित करने के किसी आदेश के विरुद्ध किसी अपील में वह ऐसे आदेश की पुष्टि या उसे रद्द कर सकेगा;

(ग) किसी अन्य मामले में वह अपील में उद्‌भूत होने वाले विवाद्यक अवधारित कर सकेगा और उन पर ऐसे आदेश पारित कर सकेगा जो वह ठीक समझे ।

(2) आयुक्त (अपील) किसी ऐसे विषय पर विचार और उसका विनिश्चय कर सकेगा, जिस पर निर्धारण अधिकारी द्वारा विचार नहीं किया गया था ।

(3) आयुक्त (अपील) किसी निर्धारण या शास्ति में तब तक वृद्धि नहीं करेगा जब तक अपीलार्थी को सुनवाई का अवसर न दे दिया गया हो ।

(4) किसी अपील का निपटारा करने में आयुक्त (अपील) ऐसी कार्यवाहियों से उद्‌भूत होने वाले किसी विषय पर, जिसमें वह आदेश, जिसके विरुद्ध अपील की गई है, पारित किया गया था, इस बात के होते हुए भी कि ऐसा विषय अपीलार्थी द्वारा उसके समक्ष नहीं उठाया गया था, विचार और उसका विनिश्चय कर सकेगा ।

18. अपील अधिकरण को अपीलें—(1) इस अधिनियम की धारा 15 के अधीन आयुक्त (अपील) द्वारा पारित किसी आदेश या किसी उपबंध के अधीन प्रधान आयुक्त या आयुक्त द्वारा पारित किसी आदेश से व्यथति कोई निर्धारिती, ऐसे आदेश के विरुद्ध अपील अधिकरण को अपील कर सकेगा ।

(2) प्रधान आयुक्त या आयुक्त, यदि वह इस अधिनियम के किसी उपबंध के अधीन आयुक्त (अपील) द्वारा पारित किसी आदेश के प्रति आक्षेप करता है, निर्धारण अधिकारी को आदेश के विरुद्ध अपील अधिकरण को अपील करने का निदेश दे सकेगा ।

(3) उपधारा (1) या उपधारा (2) के अधीन प्रत्येक अपील उस तारीख से, जिसको वह आदेश, जिसके विरुद्ध अपील की ईप्सा की गई है, यथास्थिति, निर्धारिती या प्रधान आयुक्त या आयुक्त को संसूचित किया जाता है, साठ दिन की अवधि के भीतर फाइल की जाएगी ।

(4) यथास्थिति, निर्धारण अधिकारी या निर्धारिती ऐसी सूचना की प्राप्ति पर कि आयुक्त (अपील) के आदेश के विरुद्ध दूसरे पक्षकार द्वारा उपधारा (1) या उपधारा (2) के अधीन अपील की गई है, इस बात के होते हुए भी कि संभवत: ऐसे आदेश या उसके किसी भाग के विरुद्ध सूचना की प्राप्ति के तीस दिन के भीतर अपील नहीं कर सका है, आयुक्त (अपील) के आदेश के किसी भाग के विरुद्ध, विहित रीति में सत्यापित, प्रत्याक्षेपों का ज्ञापन फाइल कर सकेगा और अपील अधिकरण द्वारा ऐसे ज्ञापन का निपटारा इस प्रकार किया जाएगा मानो वह उपधारा (3) में विनिर्दिष्ट समय के भीतर प्रस्तुत की गई कोई अपील हो ।

(5) अपील अधिकरण उपधारा (3) या उपधारा (4) में निर्दिष्ट अवधि की समाप्ति के पश्चात् किसी अपील को ग्रहण कर सकेगा या प्रति आक्षेपों का ज्ञापन फाइल करने की अनुज्ञा दे सकेगा, यदि—

(क) उसका यह समाधान हो जाता है कि उस अवधि के भीतर अपील प्रस्तुत न करने का पर्याप्त कारण था; और

(ख) अपील फाइल करने में विलंब एक वर्ष की अवधि से अधिक का नहीं है ।

(6) अपील अधिकरण को कोई अपील ऐसे प्ररूप में फाइल की जाएगी और ऐसी रीति से सत्यापित की जाएगी और उपधारा (2) में निर्दिष्ट किसी अपील या उपधारा (4) में निर्दिष्ट प्रत्याक्षेपों के किसी ज्ञापन के सिवाय उसके साथ ऐसी फीस होगी, जो विहित की जाए ।

(7) इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन रहते हुए इस धारा के अधीन किसी अपील की सुनवाई और उस पर आदेश करने में, अपील अधिकरण उन्हीं शक्तियों का प्रयोग और ऐसी प्रक्रिया का अनुसरण करेगा जिसका वह आय-कर अधिनियम के अधीन किसी अपील की सुनवाई करने और उस पर आदेश करने में प्रयोग और अनुसरण करता है ।

19. उच्च न्यायालय को अपील—(1) अपील अधिकरण द्वारा अपील में पारित प्रत्येक आदेश के विरुद्ध अपील उच्च न्यायालय को होगी, यदि उच्च न्यायालय का समाधान हो जाता है कि मामले में विधि का कोई सारवान् प्रश्न अंतर्वलित है ।

(2) अपील अधिकरण द्वारा पारित किसी आदेश से व्यथित प्रधान मुख्य आयुक्त या मुख्य आयुक्त या प्रधान आयुक्त या आयुक्त या कोई निर्धारिती उच्च न्यायालय को अपील फाइल कर सकेगा और ऐसी अपील—

(क) उस तारीख से, जिसको वह आदेश, जिसके विरुद्ध अपील की गई है, प्रधान मुख्य आयुक्त या मुख्य आयुक्त या प्रधान आयुक्त या आयुक्त या निर्धारिती द्वारा प्राप्त किया जाता है, एक सौ बीस दिन की अवधि के भीतर फाइल की जाएगी;

(ख) अपील के ज्ञापन के रूप में होगी और उसमें विधि के सारवान् प्रश्न अंतर्वलित होने का संक्षिप्त कथन होगा ।

(3) उच्च न्यायालय, उपधारा (2) में निर्दिष्ट एक सौ बीस दिन की अवधि की समाप्ति के पश्चात् कोई अपील ग्रहण कर सकेगा, यदि उसका यह समाधान हो जाता है कि उस अवधि के भीतर अपील फाइल न करने का पर्याप्त कारण था ।

(4) यदि उच्च न्यायालय का यह समाधान हो जाता है कि किसी मामले में विधि का सारवान् प्रश्न अंतर्वलित है तो वह उस प्रश्न को विरचित करेगा ।

(5) अपील की सुनवाई केवल इस प्रकार विरचित प्रश्न पर ही की जाएगी और प्रत्यर्थियों को अपील की सुनवाई के समय यह दलील देने की अनुज्ञा दी जाएगी कि मामले में ऐसा प्रश्न अंतर्वलित है ।

(6) उपधारा (4) और उपधारा (5) में किसी बात के होते हुए भी, उच्च न्यायालय उसके द्वारा विरचित न किए गए विधि के किसी अन्य सारवान् प्रश्न पर अपील की सुनवाई करने की अपनी शक्ति का प्रयोग कर सकेगा, यदि उसका यह समाधान हो जाता है कि मामले में विधि का ऐसा प्रश्न अंतर्वलित नहीं है ।

(7) उच्च न्यायालय इस प्रकार विरचित किए गए विधि के प्रश्न को विनिश्चित करेगा और उस पर ऐसा निर्णय देगा जिसमें वे आधार अंतर्विष्ट होंगे जिन पर ऐसा विनिश्चय आधारित है और ऐसा खर्च अधिनिर्णीत कर सकेगा जो वह उचित समझे ।

(8) उच्च न्यायालय कोई ऐसा विवाद्यक अवधारित कर सकेगा जो—

(क) अपील अधिकरण द्वारा अवधारित नहीं किय गया है; या

(ख) उपधारा (1) में निर्दिष्ट विधि के प्रश्न पर किसी विनिश्चय के कारण अपील अधिकरण द्वारा गलत रूप से अवधारित किया गया है ।

(9) उच्च न्यायालय को अपीलों से संबंधित सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (1908 का 5) के उपबंध, जहां तक हो सके, इस धारा के अधीन अपीलों की दशा में लागू होंगे ।

(10) जब उच्च न्यायालय, उपधारा (7) के अधीन उसके समक्ष फाइल की गई किसी अपील में कोई निर्णय देता है तो निर्धारण अधिकारी द्वारा अपील पर पारित आदेश को निर्णय की प्रमाणित प्रति के आधार पर प्रभावी किया जाएगा ।

20. उच्च न्यायालय के समक्ष मामले की सुनवाई का कम से कम दो न्यायाधीशों द्वारा किया जाना—(1) उच्च न्यायालय के समक्ष फाइल की गई किसी अपील की सुनवाई उच्च न्यायालय के कम से कम दो न्यायाधीशों की न्यायपीठ द्वारा की जाएगी और उसका विनिश्चय ऐसे न्यायाधीशों की राय के अनुसार या यदि न्यायपीठ में दो से अधिक न्यायाधीश हैं तो ऐसे न्यायाधीशों के बहुमत से किया जाएगा ।

(2) जहां ऐसा कोई बहुमत नहीं है वहां न्यायाधीश विधि के उस प्रश्न का कथन करेंगे जिस पर उनमें मतभेद है और तब मामले की सुनवाई उच्च न्यायालय के एक या अधिक अन्य न्यायाधीशों द्वारा केवल उसी प्रश्न पर की जाएगी और ऐसे प्रश्न का विनिश्चय ऐसे न्यायाधीशों के बहुमत की राय के अनुसार किया जाएगा जिन्होंने मामले की सुनवाई की है, जिनके अंतर्गत वे न्यायाधीश भी है, जिन्होंने पहले इसकी सुनवाई की थी ।

21. उच्चतम न्यायालय को अपील—धारा 19 के अधीन उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए किसी निर्णय से अपील उच्चतम न्यायालय में तब होगी जब उच्च न्यायालय यह प्रमाणित कर देता है कि वह उच्चतम न्यायालय में अपील के लिए उपयुक्त मामला है ।

22. उच्चतम न्यायालय के समक्ष सुनवाई—(1) सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (1908 का 5) के वे उपबंध जो उच्चतम न्यायालय को अपीलें करने से संबंधित हैं, धारा 21 के अधीन अपीलों की दशा में, जहां तक हो सके उसी प्रकार लागू होंगे जैसे वह किसी उच्च न्यायालय की डिक्रियों से अपीलों की दशा में लागू होते हैं ।

(2) अपील के खर्चे उच्चतम न्यायालय के विवेकानुसार होंगे ।

(3) जहां अपील में उच्च न्यायालय के निर्णय में फेरफार किया जाता है या उसे उलट दिया जाता है वहां उच्चतम न्यायालय के आदेश को धारा 19 की उपधारा (10) में उपबंधित रीति से प्रभावी किया जाएगा ।

23. राजस्व पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाले आदेशों का पुनरीक्षण—(1) प्रधान आयुक्त या आयुक्त, उसके अधीनस्थ के किसी कर प्राधिकारी के समक्ष इस अधिनियम के अधीन की किसी कार्यवाही में पारित किसी आदेश को पुनरीक्षित करने के प्रयोजनों के लिए उससे संबंधित सभी उपलब्ध अभिलेखों को मंगा सकेगा और उनकी परीक्षा कर सकेगा ।

(2) यदि प्रधान आयुक्त या आयुक्त का यह समाधान हो जाता है कि वह आदेश, जिसको पुनरीक्षित किए जाने की ईप्सा की गई है, गलत है, तो जहां तक वह राजस्व के हितों पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाला है वह निर्धारिती को सुनवाई का अवसर देने के पश्चात्, ऐसा आदेश (जिसे इसमें इसके पश्चात् पुनरीक्षण आदेश कहा गया है) पारित कर सकेगा जो मामले की परिस्थितियों में न्यायोचित हो ।

(3) प्रधान आयुक्त या आयुक्त, ऐसी जांच कर सकेगा या करा सकेगा जो वह उपधारा (2) के अधीन कोई आदेश पारित करने के प्रयोजनों के लिए आवश्यक समझे ।

(4) उपधारा (2) के अधीन प्रधान आयुक्त या आयुक्त द्वारा पारित पुनरीक्षण आदेश का प्रभाव निर्धारण में वृद्धि करने या उपांतरण करने का हो सकेगा, किंतु यह निर्धारण को रद्द करने वाला या नए सिरे से निर्धारण का निदेश देने वाला आदेश नहीं होगा ।

(5) उपधारा (2) के अधीन प्रधान आयुक्त या आयुक्त की किसी आदेश को पुनरीक्षित करने की शक्ति ऐसे विषयों तक विस्तारित होगी, जिन पर किसी अपील में विचार और विनिश्चय नहीं किया गया है ।

(6) उपधारा (2) के अधीन कोई आदेश, उस वित्तीय वर्ष के अंत से, जिसमें वह आदेश, जिसको पुनरीक्षित किए जाने की ईप्सा की गई है, पारित किया गया था, दो वर्ष की अवधि की समाप्ति के पश्चात् नहीं किया जाएगा ।

(7) उपधारा (6) में किसी बात के होते हुए भी ऐसे किसी आदेश की बाबत, जो अपील अधिकरण, उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय के किसी आदेश में अंतर्विष्ट किसी निष्कर्ष या निदेश के परिमाणस्वरूप या उसको प्रभावी करने के लिए पारित किया गया है, इस धारा के अधीन पुनरीक्षण में कोई आदेश, किसी भी समय पारित किया जा सकेगा ।

(8) उपधारा (6) अधीन परिसीमा काल की संगणना करने में निम्नलिखित को सम्मिलित नहीं किया जाएगा, अर्थात्:—

(क) धारा 7 के अधीन निर्धारिती को पुन: सुनवाई का अवसर देने में लगा समय; या

(ख) ऐसी कोई अवधि, जिसके दौरान इस धारा के अधीन कोई कार्यवाही किसी न्यायालय के आदेश या व्यादेश द्वारा रोक दी जाती है ।

(9) पूर्वगामी उपबंधों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, किसी कर प्राधिकारी द्वारा पारित कोई आदेश वहां तक गलत समझा जाएगा, जहां तक यह राजस्व के हितों पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाला है, यदि प्रधान आयुक्त या आयुक्त की राय में—

(क) आदेश, ऐसी जांच या सत्यापन किए बिना जो किया जाना चाहिए था, पारित किया गया है; या

(ख) आदेश, बोर्ड द्वारा जारी किसी आदेश, निदेश या अनुदेश के अनुसार नहीं किया गया है; या

(ग) आदेश, इस अधिनियम या आय-कर अधिनियम के अधीन निर्धारिती या किसी अन्य व्यक्ति के मामले में अधिकारिता रखने वाले उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायायल द्वारा किए गए ऐसे किसी विनिश्चय के अनुसार जो निर्धारिती पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाला हो, पारित नहीं किया गया है ।

(10) इस धारा में "अभिलेख" के अंतर्गत इस अधिनियम के अधीन की किसी कार्यवाही से संबंधित ऐसे सभी अभिलेख आते हैं जो प्रधान आयुक्त या आयुक्त द्वारा परीक्षा किए जाने के समय उपलब्ध हों ।

24. अन्य आदेशों का पुनरीक्षण—(1) प्रधान आयुक्त या आयुक्त उसके अधीनस्थ किसी प्राधिकारी द्वारा पारित ऐसे किसी आदेश को जो ऐसे आदेश से भिन्न है जिसको धारा 23 लागू होती है, पुनरीक्षित करने के प्रयोजनों के लिए उससे संबंधित सभी उपलब्ध अभिलेखों को, स्वप्रेरणा से या निर्धारिती द्वारा किए गए आवेदन पर मंगा सकेगा और उनकी परीक्षा कर सकेगा ।

(2) प्रधान आयुक्त या आयुक्त ऐसा आदेश पारित कर सकेगा, जो वह आवश्यक समझे और जो निर्घारिती पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाला न हो ।

(3) किसी आदेश का पुनरीक्षण करने की उपधारा (2) के अधीन प्रधान आयुक्त या आयुक्त की शक्ति, ऐसे आदेश तक नहीं होगी—

(क) जिसके विरुद्ध अपील फाइल नहीं की गई है किंतु आयुक्त (अपील) के समक्ष अपील फाइल करने का समय समाप्त नहीं हुआ है;

(ख) जिसके विरुद्ध आयुक्त (अपील) के समक्ष अपील लंबित है; या

(ग) जिस पर किसी अपील में विचार और उसका विनिश्चय किया जा चुका है ।

(4) निर्धारिती उपधारा (1) में निर्दिष्ट किसी आदेश के पुनरीक्षण के लिए आवेदन उस तारीख से, जिसको वह आदेश, जिसको पुनरीक्षित किए जाने की ईप्सा की गई है, उसको संसूचित किया गया था या उस तारीख से, जिसको उसे अन्यथा उसकी जानकारी मिलती है, इनमें जो भी पूर्वतर है, एक वर्ष की अवधि के भीतर करेगा ।

(5) यदि प्रधान आयुक्त या आयुक्त का यह समाधान हो जाता है कि निर्धारिती को एक वर्ष की अवधि के भीतर आवेदन करने से पर्याप्त कारणों से निवारित किया गया था तो वह उपधारा (4) निर्दिष्ट तारीख से एक वर्ष की समाप्ति के पश्चात् किन्तु दो वर्ष की समाप्ति के पूर्व आवेदन ग्रहण कर सकेगा ।

(6) इस धारा के अधीन पुनरीक्षण के लिए किसी निर्धारिती द्वारा किए गए प्रत्येक आवेदन के साथ ऐसी फीस होगी जो विहित की जाए ।

(7) उपधारा (2) के अधीन कोई आदेश—

(क) उस वित्तीय वर्ष की जिसमें उपधारा (4) के अधीन निर्धारिती द्वारा आवेदन किया जाता है, समाप्ति के एक वर्ष की अवधि के अवसान के पश्चात् नहीं किया जाएगा; या

(ख) उस आदेश की तारीख से, जिसको पुनरीक्षित किए जाने को ईप्सा की गई है एक वर्ष की अवधि के अवसान के पश्चात् नहीं किया जाएगा, यदि वह आदेश आयुक्त द्वारा स्वप्रेरणा से पुनरीक्षित किया गया है ।

(8) उपधारा (7) के अधीन परिसीमा काल की संगणना करने में निम्नलिखित को सम्मिलित नहीं किया जाएगा, अर्थात्:—

(क) धारा 7 के अधीन निर्धारिती को पुन: सुनवाई का अवसर देने में लगा समय; या

(ख) ऐसी कोई अवधि, जिसके दौरान इस धारा के अधीन कोई कार्यवाही किसी न्यायालय के आदेश या व्यादेश द्वारा रोक दी जाती है ।

(9) इस धारा के प्रयोजनों के लिए प्रधान आयुक्त या आयुक्त द्वारा हस्तक्षेप से इंकार करने संबंधी किसी आदेश के बारे में यह समझा जाएगा कि वह आदेश निर्धारिती पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाला नहीं है ।

25. अपील के लंबित रहते कर का संदाय किया जाना—उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय को की गई किसी अपील के होते हुए भी, कर इस अधिनियम के अधीन किए गए निर्धारण के अनुसार संदत्त किया जाएगा ।

26. उच्चतम न्यायालय द्वारा अधिनिर्णीत खर्चों के आदेश का निष्पादन—उच्च न्यायालय, उच्चतम न्यायालय द्वारा अधिनिर्णीत खर्चों के सम्बन्ध में आदेश के निष्पादन के लिए की गई अर्जी पर, ऐसे आदेश को निष्पादन के लिए अपने अधीनस्थ किसी न्यायालय को भेज सकेगा ।

27. अपील पर निर्धारण का संशोधन—जहां धारा 15 या धारा 18 के अधीन अपील के परिमाणस्वरूप किसी व्यष्टि-निकाय या व्यक्ति-संगम के निर्धारण में कोई परिवर्तन किया जाता है या व्यष्टि-निकाय या व्यक्ति-संगम का नए सिरे से निर्धारण किए जाने का कोई आदेश किया जाता है, वहां, यथास्थिति, आयुक्त (अपील) या अपील अधिकरण निर्धारण अधिकारी को किए गए निर्धारण में संशोधन करने का या निकाय या संगम के किसी सदस्य का नए सिरे से निर्धारण करने के लिए प्राधिकृत करते हुए आदेश पारित करेगा ।

28. प्रति अभिप्राप्त करने में लगे समय का अपवर्जन—इस अधिनियम के अधीन अपील के लिए विहित परिसीमा काल की संगणना करने में उस दिन को, जिसको निर्धारिती पर, आदेश की सूचना की तामील आदेश की प्रति की तामील किए बिना की गई थी, ऐसे आदेश की प्रति अभिप्राप्त करने में लगे समय को अपवर्जित किया जाएगा ।

29. कर प्राधिकारी द्वारा अपील का फाइल किया जाना—(1) बोर्ड, इस अध्याय के अधीन किसी कर प्राधिकारी द्वारा अपील के फाइल किए जाने को विनियमित करने के प्रयोजन के लिए ऐसी धनीय सीमाएं, जो वह ठीक समझे, निश्चित करने के लिए समय-समय पर अन्य कर प्राधिकारियों को आदेश, अनुदेश या निदेश जारी कर सकेगा ।

(2) जहां उपधारा (1) के अधीन जारी आदेशों, अनुदेशों या निदेशों के अनुसरण में किसी कर प्राधिकारी ने किसी वित्तीय वर्ष के लिए किसी निर्धारिती के मामले में किसी विवाद्यक पर कोई अपील फाइल नहीं की है वहां ऐसे प्राधिकारी को—

(क) किसी अन्य वित्तीय वर्ष के लिए उसी निर्धारिती; या

(ख) उसी या किसी अन्य वित्तीय वर्ष के लिए किसी अन्य निर्धारिती,

के मामले में उसी विवाद्यक पर अपील फाइल करने से निवारित नहीं किया जाएगा ।

(3) इस बात के होते हुए भी कि उपधारा (1) के अधीन जारी आदेशों या अनुदेशों या निदेशों के अनुसरण में किसी कर प्राधिकारी द्वारा कोई अपील फाइल नहीं की गई है, किसी ऐसे निर्धारिती के लिए, जो किसी अपील में पक्षकार है, ऐसा प्रतिवाद करना विधिपूर्ण नहीं होगा कि कर प्राधिकारी ने किसी दशा में कोई अपील फाइल न करके विवादित विवाद्यक पर विनिश्चय में उपमति दे दी है ।

(4) ऐसी अपील की सुनवाई करने वाला अपील अधिकरण, उपधारा (1) के अधीन जारी आदेशों, अनुदेशों या निदेशों और उन परिस्थितियों को ध्यान में रखेगा जिनके अधीन किसी मामले के संबंध में ऐसी अपील फाइल की गई थी या फाइल नहीं की गई थी ।

(5) ऐसा प्रत्येक आदेश, अनुदेश या निदेश, जो अपील फाइल करने हेतु धनीय सीमाएं निश्चित करने के लिए बोर्ड द्वारा जारी किया गया है, उपधारा (1) के अधीन जारी किया गया समझा जाएगा और उपधारा (2), उपधारा (3) और उपधारा (4) के उपबंध तदनुसार लागू होंगे ।

30. निर्धारण अधिकारी द्वारा कर शोध्यों की वसूली—(1) धारा 13 के अधीन मांग की सूचना में संदेय रूप में विनिर्दिष्ट कोई रकम, सूचना की तामील की तीस दिन की अवधि के भीतर, ऐसी रीति से जो विहित की जाए, केन्द्रीय सरकार के जमा खाते में संदत्त की जाएगी ।

(2) जहां निर्धारण अधिकारी के पास यह विश्वास करने का कोई कारण है कि यदि उपधारा (1) में निर्दिष्ट तीस दिन की अवधि अनुज्ञात की जाती है तो यह राजस्व के लिए अहितकर होगा वहां वह संयुक्त आयुक्त के पूर्व अनुमोदन से ऐसी अवधि को उतनी जितनी वह ठीक समझे, कम कर सकेगा ।

(3) निर्धारण अधिकारी, निर्धारिती द्वारा किए गए आवेदन पर, तीस दिन की अवधि या उपधारा (2) के अधीन कम की गई अवधि की समाप्ति के पूर्व या आयुक्त (अपील) के पास अपील के लंबित रहने के दौरान, ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए, जो वह मामले की परिस्थितियों में अधिरोपित करना ठीक समझे, संदाय के लिए समय को बढ़ा सकेगा या किस्तों द्वारा कर सकेगा ।

(4) किसी निर्धारिती को व्यतिक्रमी निर्धारिती समझा जाएगा यदि, यथास्थिति, उपधारा (1) के अधीन अनुज्ञात समय के भीतर या उपधारा (2) के अधीन कम की गई या उपधारा (3) के अधीन बढ़ाई गई अवधि के भीतर बकाया कर संदत्त नहीं किया जाता है ।

(5) जहां कोई निर्धारिती, उपधारा (3) के अधीन निश्चित समय के भीतर किसी किस्त का संदाय करने में व्यतिक्रम करता है वहां उसे तब बकाया संपूर्णा रकम के संबंध में व्यतिक्रम करने वाला निर्धारिती समझा जाएगा ।

(6) निर्धारण अधिकारी, ऐसे किसी मामले में, जिसमें कर वसूली अधिकारी द्वारा धारा 31 के अधीन प्रमाणपत्र तैयार नहीं किया गया है, धारा 32 में उपबंधित ढंगों में से किसी एक या अधिक ढंगों द्वारा ऐसी रकम की वसूली कर सकेगा जिसके संबंध में वह व्यतिक्रम करने वाला निर्धारिती है या उसे व्यतिक्रम करने वाला निर्धारिती समझा जाता है ।

(7) कर वसूली अधिकारी में, धारा 31 के अधीन बकाया कर का विवरण तैयार करने पर बकाया कर की वसूली करने की शक्तियां निहित होंगी ।

31. कर वसूली अधिकारी द्वारा कर शोध्यों की वसूली—(1) कर वसूली अधिकारी, धारा 30 की उपधारा (4) या उपधारा (5) में निर्दिष्ट किसी निर्धारिती के कर बकाया का ऐसे प्ररूप में, जो विहित किया जाए, एक विवरण (ऐसा विवरण, जिसे इस अध्याय में इसके पश्चात् "प्रमाणपत्र" कहा गया है) अपने हस्ताक्षर सहित तैयार कर सकेगा ।

(2) उपधारा (1) के अधीन प्रमाणपत्र को इस अधिनियम के अधीन किसी कार्यवाही के परिमाणस्वरूप समय-समय पर संशोधित किया जाएगा और कर वसूली अधिकारी इस प्रकार उपांतरित रकम की वसूली करेगा ।

(3) कर वसूली अधिकारी, अभिलेख से प्रकट किसी भूल का सुधार कर सकेगा ।

(4) कर वसूली अधिकारी को ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए, जो वह मामले की परिस्थितियों में अधिरोपित करना ठीक समझे, संदाय करने के समय को बढ़ाने या किस्तों द्वारा संदाय अनुज्ञात करने की शक्ति होगी ।

(5) कर वसूली अधिकारी, निर्धारिती से धारा 32 में या आय-कर अधिनियम की द्वितीय अनुसूची में निर्दिष्ट किसी एक या अधिक ढंगों द्वारा प्रमाणपत्र में विनिर्दिष्ट रकम वसूल करने के लिए कार्रवाई करेगा ।

(6) निर्धारिती को कर वसूली अधिकारी द्वारा तैयार किए गए किसी प्रमाणपत्र के सही होने के संबंध में किसी भी आधार पर विवाद उठाने का अधिकार नहीं होगा किंतु कर वसूली अधिकारी के लिए प्रमाणपत्र को रद्द करना, यदि वह किसी कारण से ऐसा करना आवश्यक समझता है, विधिपूर्ण होगा ।

32. कर शोध्यों की वसूली के ढंग—(1) निर्धारण अधिकारी या कर वसूली अधिकारी, निर्धारिती के नियोजक से निर्धारिती के किसी संदाय से ऐसी रकम की कटौती करने की अपेक्षा कर सकेगा जो निर्धारिती से बकाया कर को पूरा करने के लिए पर्याप्त है ।

(2) उपधारा (1) के अधीन अध्यपेक्षा के आधार पर नियोजक अध्यपेक्षा का पालन करेगा और इस प्रकार काटी गई राशि का ऐसी रीति से जो विहित की जाए, केन्द्रीय सरकार के जमा खाते में संदाय करेगा ।

(3) सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (1908 का 5) की धारा 60 के अधीन सिविल न्यायालय की डिक्री के निष्पादन में कुर्की से छूट प्राप्त वेतन का कोई भाग, उपधारा (1) के अधीन की गई किसी अध्यपेक्षा से छूट प्राप्त होगा ।

(4) निर्धारण अधिकारी या कर वसूली अधिकारी लिखित सूचना द्वारा निर्धारिती के किसी ऋणी से ऐसी रकम के जो ऋण की रकम से अधिक न हो संदाय की, जो निर्धारिती की कर बकाया को पूरा करने के लिए पर्याप्त हो, अपेक्षा कर सकेगा ।

(5) उपधारा (4) के अधीन सूचना प्राप्त होने पर ऋणी अध्यपेक्षा का पालन करेगा और ऐसी रीति से जो विहित की जाए सूचना में विनिर्दिष्ट समय के भीतर (जो उस समय के पूर्व का न हो जब निर्धारिती को देय हो जाता है) केन्द्रीय सरकार के जमा खाते में धनराशि का संदाय करेगा ।

(6) उपधारा (4) के अधीन जारी की गई सूचना की एक प्रति निर्धारिती को उसके अंतिम पते पर, जो निर्धारण अधिकारी या कर वसूली अधिकारी को ज्ञात हो और संयुक्त लेखे की दशा में सभी संयुक्त धारकों को उनके अंतिम पते पर, जो निर्धारण अधिकारी या कर वसूली अधिकारी को ज्ञात हो, भेजी जाएगी ।

(7) यदि उपधारा (4) के अधीन कोई सूचना डाकघर, बैंककारी कंपनी, बीमाकर्ता या किसी अन्य व्यक्ति को जारी की जाती है तो कोई संदाय करने के पूर्व किसी प्रविष्टि, पृष्ठांकन या वैसी ही किसी कार्यवाही के किए जाने के प्रयोजन के लिए किसी पासबुक,

जमा रसीद, पालिसी या किसी अन्य दस्तावेज को पेश करना तत्प्रतिकूल किसी नियम, प्रथा या अपेक्षा के होते हुए भी आवश्यक नहीं होगा ।

(8) किसी संपत्ति की बाबत, जिसके संबंध में उपधारा (4) के अधीन सूचना जारी की गई है, ऐसा कोई दावा जो सूचना की तारीख के पश्चात् उद्‌भूत होता है, सूचना में अंतर्विष्ट किसी मांग के विरुद्ध शून्य होगा ।

(9) ऐसे किसी व्यक्ति से, जिसे उपधारा (4) के अधीन कोई सूचना जारी की गई है, उसमें विनिर्दिष्ट बकाया कर की रकम का या उसके किसी भाग का संदाय करने की अपेक्षा नहीं की जाएगी यदि वह शपथ पर कथन करके यह आक्षेप करता है कि ऐसी कोई राशि या उसका कोई भाग, जिसकी मांग की गई है, निर्धारिती द्वारा देय नहीं है या वह निर्धारिती के लिए या उसके लेखे कोई धनराशि धारित नहीं करता है ।

(10) उपधारा (9) में निर्दिष्ट व्यक्ति से, यथास्थिति, निर्धारण अधिकारी या कर वसूली अधिकारी के प्रति, सूचना की तारीख को निर्धारिती के प्रति अपने स्वयं के दायित्व के परिमाण तक या इस अधिनियम के अधीन देय किसी राशि के लिए निर्धारिती के दायित्व के परिमाण तक, इनमें से जो भी कम हो, व्यक्तिगत रूप से दायी होगा यदि यह प्रकट होता है कि उसके द्वारा किया गया कथन किसी प्रकार से मिथ्या है ।

(11) निर्धारण अधिकारी या कर वसूली अधिकारी उपधारा (4) के अधीन जारी किसी सूचना का संशोधन या प्रतिसंहरण कर सकेगा अथवा ऐसी सूचना के अनुसरण में कोई संदाय करने का समय बढ़ा सकेगा ।

(12) निर्धारण अधिकारी या कर वसूली अधिकारी, उपधारा (4) के अधीन जारी सूचना के अनुपालन में संदत्त किसी रकम की रसीद देगा और वह व्यक्ति, जिसने संदाय किया है, उस संदत्त रकम के परिमाण तक निर्धारिती के प्रति अपने दायित्व से पूर्ण रूप से उन्मोचित हो जाएगा ।

(13) ऐसा कोई व्यक्ति, जो उपधारा (4) के अधीन कोई सूचना प्राप्त हाने के पश्चात् निर्धारिती के प्रति किसी दायित्व का उन्मोचन उसे ही कर देता है, निर्धारिती के प्रति अपने स्वयं के इस प्रकार उन्मोचित दायित्व के परिमाण तक या इस अधिनियम के अधीन देय किसी धनराशि के लिए निर्धारिती के दायित्व के परिमाण तक, इनमें से जो भी कम हो, उस तक निर्धारण अधिकारी या कर वसूली अधिकारी के प्रति व्यक्तिगत रूप से दायी होगा ।

(14) ऐसे ऋणी को, जिसे उपधारा (4) के अधीन सूचना भेजी जाती है, व्यतिक्रम करने वाला निर्धारिती समझा जाएगा, यदि वह ऐसा संदाय करने में असफल रहता है और उसके विरुद्ध इस धारा और आय-कर अधिनियम की द्वितीय अनुसूची में उपबंधित रीति से उक्त रकम वसूल करने के लिए आगे और कार्यवाहियां आरंभ की जा सकेंगी ।

(15) निर्धारण अधिकारी या कर वसूली अधिकारी उस न्यायालय से, जिसकी अभिरक्षा में निर्धारिती का धन है, यह आवेदन कर सकेगा कि उसको ऐसे धन की पूरी रकम का, या यदि वह बकाया कर से अधिक है तो उतनी रकम का, जितनी बकाया कर को पूरा करने के लिए पर्याप्त है, संदाय किया जाए ।

(16) निर्धारण अधिकारी या कर वसूली अधिकारी, यदि उसे प्रधान मुख्य आयुक्त या मुख्य आयुक्त या प्रधान आयुक्त या आयुक्त द्वारा, साधारण या विशेष आदेश द्वारा इस प्रकार प्राधिकृत किया जाता है, किसी बकाया कर की वसूली को उसी रीति से प्रभावी करेगा जो आय-कर अधिनियम की द्वितीय अनुसूची के अधीन किसी जंगम संपत्ति की कुर्की, करस्थम् और विक्रय में की जाती है ।

(17) इस धारा में,—

(क) "ऋणी" से, किसी निर्धारिती के संबंध में, निम्नलिखित अभिप्रेत है,—

(i) ऐसा कोई व्यक्ति, जिससे कोई धनराशि निर्धारिती को शोध्य है या शोध्य हो जाए; या

(ii) ऐसा कोई व्यक्ति, जो निर्धारिती के लिए या उसके मद्दे कोई धनराशि धारण करता है या तत्पश्चात् धारण करे; या

(iii) ऐसा कोई व्यक्ति, जो निर्धारिती के लिए किसी अन्य व्यक्ति के साथ संयुक्त रूप से कोई धनराशि धारण करता है या तत्पश्चात् धारण करे;

(ख) संयुक्त धारकों के खाते में के शेयरों के बारे में, जब तक कि प्रतिकूल साबित नहीं किया जाता है, यह उपधारणा की जाएगी कि वे बराबर हैं ।

33. कर वसूली अधिकारी, जिसके द्वारा कर शोध्यों की वसूली की जानी है—(1) कर वसूली अधिकारी, जो धारा 31 के अधीन कार्रवाई करने के लिए सक्षम है, ऐसा कर वसूली अधिकारी होगा,—

(क) जिसकी अधिकारिता के भीतर—

(i) निर्धारिती अपना कारबार करता है;

(ii) निर्धारिती के कारबार का मुख्य स्थान स्थित है;

(iii) निर्धारिती निवास करता है; या

(iv) निर्धारिती की कोई जंगम या स्थावर संपत्ति स्थित है; या

(ख) जिसे धारा 6 के अधीन अधिकारिता सौंपी गई है ।

(2) उपधारा (1) में निर्दिष्ट कर वसूली अधिकारी एक प्रमाणपत्र, उसमें वसूल किए जाने वाले कर बकाया को विनिर्दिष्ट करते हुए, ऐसी रीति में, जो विहित की जाए, ऐसे दूसरे कर वसूली अधिकारी को भेज सकेगा जिसकी अधिकारिता के भीतर निर्धारिती निवास करता है या उसकी संपत्ति है, यदि प्रथम वर्णित कर वसूली अधिकारी—

(क) अपनी अधिकारिता के भीतर, जंगम या स्थावर संपत्ति के विक्रय से संपूर्ण रकम वसूल करने में समर्थ नहीं है; या

(ख) की यह राय है कि इस अध्याय के अधीन संपूर्ण रकम या उसके किसी भाग की शीघ्र वसूली करने या उसे सुनिश्चित करने के लिए ऐसा प्रमाणपत्र भेजना आवश्यक है ।

(3) द्वितीय वर्णित कर वसूली अधिकारी, प्रमाणपत्र प्राप्त करने पर, उसमें विनिर्दिष्ट कर बकाया की रकम की वसूली के लिए अधिकारिता ग्रहण करेगा और इस अध्याय के उपबंधों के अनुसार रकम की वसूली करने के लिए अग्रसर होगा ।

34. समापनाधीन किसी कंपनी की दशा में कर शोध्यों की वसूली—(1) समापक ऐसे निर्धारण अधिकारी को, जिसे कंपनी की अप्रकटित विदेशी आय और आस्ति का निर्धारण करने की अधिकारिता प्राप्त है, अपनी नियुक्ति के बारे में, उसके समापक बनने के तीस दिन की अवधि के भीतर, सूचित करेगा ।

(2) निर्धारण अधिकारी, उस तारीख से, जिसको उसे सूचना प्राप्त होती है, तीन मास की अवधि के भीतर समापक को उस रकम की संसूचना देगा जो उसकी राय में किन्हीं कर बकाया राशियों या ऐसी किसी राशि के लिए, जिसके कि इस अधिनियम के अधीन कंपनी द्वारा तत्पश्चत् संदेय होने की संभावना हो, उपबंध करने के लिए पर्याप्त होगी ।

(3) समापक—

(क) कंपनी की आस्तियों में से किसी को या उसकी अभिरक्षा में की संपत्तियों को विलग नहीं करेगा जब तक कि उपधारा (2) के अधीन निर्धारण अधिकारी द्वारा उसे संसूचित न किया गया हो; और

(ख) इस प्रकार संसूचित किए जाने पर, संसूचित की गई रकम के बराबर रकम अलग रखेगा ।

(4) निर्धारण अधिकारी से उपधारा (2) के अधीन संसूचना प्राप्त होने पर, तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में किसी बात के होते हुए भी, निम्नलिखित शोध्य राशियों का, अर्थात् : —

(क) कर्मकारों को शोध्य राशियों का; और

(ख) प्रतिभूत लेनदारों को, कंपनी अधिनियम, 2013 (2013 का 18) की धारा 325 की उपधारा (1) के परंतुक के खंड (iii) के अधीन ऐसी शोध्य राशियों की मात्रा के अनुसार श्रेणीबद्ध ऐसे ऋणों की सीमा तक शोध्य ऋणों का,

संदाय करने के पश्चात् इस प्रकार संसूचित की गई शेष रकम कंपनी की आस्तियों पर प्रथम भार होगी ।

(5) समापक, कंपनी द्वारा संदेय राशि का संदाय करने के लिए व्यक्तिगत रूप से दायी होगा, यदि—

(क) वह उपधारा (1) के अनुसार सूचित करने में असफल रहता है; या

(ख) उपधारा (3) के अधीन यथा अपेक्षित रकम को अलग रखने में असफल रहता है ।

(6) इस धारा के अधीन समापक की बाध्यताएं और दायित्व, ऐसे किसी मामले में, जहां एक से अधिक समापक हैं, संयुक्त रूप से और पृथक् रूप से सभी समापकों की बाध्यताएं और दायित्व होंगे ।

(7) इस धारा के उपबंध तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में अंतर्विष्ट प्रतिकूल किसी बात पर अभिभावी होंगे ।

(8) इस धारा में,—

(क) "समापक" के अंतर्गत, ऐसी कंपनी के संबंध में, जिसका किसी न्यायालय के आदेश के अधीन या अन्यथा परिसमापन किया जा रहा है, कंपनी की आस्तियों का कोई रिसीवर भी है;

(ख) "कर्मकारों को शोध्य राशियों" का वही अर्थ होगा, जो कंपनी अधिनियम, 2013 (2013 का 18) की धारा 325 में उसका है ।

35. किसी कंपनी के प्रबंधक का दायित्व—(1) ऐसा प्रत्येक व्यक्ति, जो वित्तीय वर्ष के दौरान किसी समय कोई प्रबंधक है, वित्तीय वर्ष के लिए कंपनी के संबंध में इस अधिनियम के अधीन शोध्य किसी रकम का, यदि इस रकम को कंपनी से वसूल नहीं किया जा सकता है तो उसका संयुक्त रूप से और पृथक् रूप से संदाय करने के लिए दायी होगा ।

(2) उपधारा (1) के उपबंध तब लागू नहीं होंगे, यदि प्रबंधक यह साबित कर देता है कि वसूली न किए जाने का कार्य कंपनी के कार्यकलापों के संबंध में उसकी ओर से किसी उपेक्षा, अपकरण या कर्तव्य भंग के कारण हुआ नहीं माना जा सकता है ।

(3) इस धारा के उपबंध कंपनी अधिनियम, 2013 (2013 का 18) में अंतर्विष्ट किसी प्रतिकूल बात पर अभिभावी होंगे ।

(4) इस धारा में "प्रबंधक" के अंतर्गत प्रबंध निदेशक भी है और दोनों का अर्थ वही होगा जो कंपनी अधिनियम, 2013 (2013 का 18) की धारा 2 के खंड (53) और खंड (54) में क्रमश: उनका है ।

36. सहभागियों के संयुक्त और पृथक् दायित्व—(1) ऐसा प्रत्येक व्यक्ति , जो वित्तीय वर्ष के दौरान किसी समय किसी अनिगमित निकाय में कोई सहभागी है, या मृतक सहभागी का प्रतिनिधि निर्धारिती, अनिगमित निकाय के साथ, संयुक्त रूप से और पृथक् रूप से, अनिगमित निकाय द्वारा इस अधिनियम के अधीन संदेय किसी रकम का संदाय करने के लिए दायी होगा और इस अधिनियम के उपबंध तदनुसार लागू होंगे ।

(2) किसी सीमित दायित्व भागीदारी की दशा में, उपधारा (1) के उपबंध लागू नहीं होंगे यदि भागीदार यह साबित कर देता है कि वसूली न किए जाने का कार्य भागीदारी के कार्यकलापों के संबंध में उसकी ओर से किसी उपेक्षा, अपकरण या कर्तव्य भंग के कारण हुआ नहीं माना जा सकता है ।

(3) इस धारा के उपबंध सीमित दायित्व भागीदारी अधिनियम, 2008 (2009 का 6) में अंतर्विष्ट तत्प्रतिकूल किसी बात पर अभिभावी होंगे ।

37. राज्य सरकारों के माध्यम से वसूली—यदि संविधान के अनुच्छेद 258 के खंड (1) के अधीन किसी क्षेत्र में कर की वसूली का कार्य राज्य सरकार को सौंपा गया है तो राज्य सरकार उस क्षेत्र या उसके किसी भाग के संबंध में यह निदेश दे सकेगी कि उसमें कर की वसूली किसी नगरपालिका कर या स्थानीय रेट के साथ और उसके अतिरिक्त उसी व्यक्ति द्वारा और उसी रीति से की जाएगी, जैसे नगरपालिका कर या स्थानीय रेट की वसूली की जाती है ।

38. विदेशों या विनिर्दिष्ट राज्यक्षेत्र के साथ करारों के अनुसरण में शोध्य करों की वसूली—(1) कर वसूली अधिकारी, ऐसे किसी मामले में जहां निर्धारिती की भारत से बाहर किसी देश या विनिर्दिष्ट राज्यक्षेत्र में संपत्ति है, निर्धारिती से कर बकाया की वसूली के लिए बोर्ड को एक प्रमाणपत्र अग्रेषित कर सकेगा, जहां कि केन्द्रीय सरकार या भारत में किसी विनिर्दिष्ट संगम द्वारा कर की वसूली के प्रयोजनों के लिए, यथास्थिति, आय-कर अधिनियम की धारा 90 या धारा 90क के अधीन या इस अधिनियम की धारा 73 की उपधारा (1), उपधारा (2), या उपधारा (4) के अधीन उस देश या राज्यक्षेत्र के साथ करार किया है ।

(2) कर वसूली अधिकारी से उपधारा (3) के अधीन प्रमाणपत्र की प्राप्ति पर, बोर्ड ऐसे देश या किसी विनिर्दिष्ट राज्यक्षेत्र के साथ करार के निबंधनों को ध्यान में रखते हुए, उस पर ऐसी कार्रवाई कर सकेगा, जो वह समुचित समझे ।

39. वाद या अन्य विधि के अधीन वसूली का प्रभावित न होना—(1) इस अध्याय में विनिर्दिष्ट वसूली के अनेक ढंग किसी भी प्रकार से—

(क) सरकार को देय ऋणों की वसूली से संबंधित तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि; या

(ख) किसी निर्धारिती से कर बकाया की वसूली के लिए वाद संस्थित करने के सरकार के अधिकार,

को प्रभावित नहीं करेंगे ।

(2) निर्धारण अधिकारी या सरकार के लिए इस बात के होते हुए भी कि कर बकाया की वसूली इस अध्याय में विनिर्दिष्ट किसी अन्य ढंग से निर्धारिती से की जा रही है, यह विधिमान्य होगा कि वह किसी अन्य विधि या वाद को अपनाए ।

40. विवरणी प्रस्तुत करने में और अग्रिम कर के संदाय या उसे आस्थगित करने में व्यतिक्रम करने के लिए ब्याज—(1) जहां निर्धारिती की भारत के बाहर किसी स्रोत से कोई आय है जिसका आय-कर अधिनियम की धारा 139 की उपधारा (1) के अधीन प्रस्तुत आय की विवरणी में प्रकटन नहीं किया गया है या उक्त उपधारा के अधीन आय की विवरणी प्रस्तुत नहीं की गई है, वहां आय-कर अधिनियम की धारा 234क के उपबंधों के अनुसार ब्याज प्रभार्य होगा ।

(2) जहां निर्धारिती की भारत के बाहर किसी स्रोत से कोई अप्रकटित आय है और ऐसी आय पर आय-कर अधिनियम के अध्याय 17 के भाग ग के अनुसार अग्रिम कर संदत्त नहीं किया गया है, वहां आय-कर अधिनियम की धारा 234ख और धारा 234ग के उपबंधों के अनुसार ब्याज प्रभार्य होगा ।

अध्याय 4

शास्तियां

41. अप्रकटित विदेशी आय और आस्ति के संबंध में शास्ति—निर्धारण अधिकारी किसी मामले में, जहां अप्रकटित विदेशी आय और आस्ति के संबंध में धारा 10 के अधीन कर की संगणना की गई है, यह निदेश दे सकेगा कि निर्धारिती उसके द्वारा संदेय कर के अतिरिक्त, यदि कोई हो, शास्ति के रूप में उस धारा के अधीन संगणित कर की तीन गुणा राशि के बराबर शास्ति का संदाय करेगा ।

42. विदेशी आय और आस्ति के संबंध में विवरणी प्रस्तुत करने में असफलता के लिए शास्ति—यदि कोई व्यक्ति, जो आय-कर अधिनियम की धारा 6 के खंड (6) के अर्थान्तर्गत भारत में मामूली तौर से निवासी न होने से भिन्न कोई निवासी है जिससे आय-कर अधिनियम की धारा 139 की उपधारा (1) के अधीन या उस उपधारा के परंतुकों द्वारा किसी पूर्ववर्ती वर्ष के लिए उसकी आय की विवरणी प्रस्तुत करना अपेक्षित है और जो ऐसे पूर्ववर्ती वर्ष के दौरान किसी समय,—

(i) भारत के बाहर कोई आस्ति (जिसके अन्तर्गत किसी इकाई में वित्तीय हित भी है) हिताधिकारी स्वामी के रूप में अन्यथा धारण किए हुए था; या

(ii) भारत के बाहर किसी आस्ति का (जिसके अंतर्गत किसी इकाई में वित्तीय हित भी है) हिताधिकारी स्वामी था; या

(iii) जिसकी भारत के बाहर अवस्थित किसी स्रोत से आय थी,

सुसंगत निर्धारण वर्ष की समाप्ति के पूर्व ऐसी विवरणी प्रस्तुत करने में असफल रहता है तो निर्धारण अधिकारी यह निदेश दे सकेगा कि ऐसा व्यक्ति शास्ति के रूप में दस लाख रुपए की राशि का संदाय करेगा :

परंतु यह धारा ऐसी किसी आस्ति के संबंध में लागू नहीं होगी, जो एक या अधिक बैंक खातों में ऐसा समग्र अतिशेष है, जो पूर्ववर्ष के दौरान किसी भी समय पांच लाख रुपए के समतुल्य मूल्य से अधिक का नहीं है ।

स्पष्टीकरण—विदेशी करेंसी में रखे गए किसी खाते में के अतिशेष का रुपए में समतुल्य मूल्य का अवधारण करने के लिए, रुपए में मूल्य की संगणना हेतु विनिमय की दर, उस तारीख को, जिसको इस प्रकार मूल्य का अवधारण किया जाना है, भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम, 1955 (1955 का 23) के अधीन स्थापित भारतीय स्टेट बैंक द्वारा यथा अंगीकृत उस करेंसी की टैलीग्राफिक अंतरण क्रय दर होगी ।

43. आय की विवरणी भारत के बाहर अवस्थित किसी आस्ति (जिसके अन्तर्गत किसी इकाई में वित्तीय हित भी है) के बारे में कोई सूचना देने में असफलता या गलत विशिष्टियां देने के लिए शास्ति)—यदि कोई व्यक्ति, जो आय-कर अधिनियम की धारा 6 के खंड (6) अर्थान्तर्गत भारत में मामूली तौर से निवासी न होने से भिन्न निवासी है, जिसने उक्त अधिनियम की धारा 139 की उपधारा (1) या उपधारा (4) या उपधारा (5) के अधीन किसी पूर्ववर्ष के लिए आय की विवरणी प्रस्तुत की है, ऐसी विवरणी में, उस पूर्ववर्ष के दौरान किसी समय भारत के बाहर अवस्थित किसी आस्ति (जिसके अन्तर्गत किसी इकाई के वित्तीय हित भी हैं) से, जो वह हिताधिकारी स्वामी के रूप में या अन्यथा धारण किए हुए था या जिसके संबंध में वह एक हिताधिकारी था, संबंधित या भारत के बाहर अवस्थित किसी स्रोत से किसी आय से संबंधित ऐसी विवरणी में कोई सूचना देने में असफल रहता है या गलत विशिष्टियां देता है, तो निर्धारण अधिकारी यह निदेश दे सकेगा कि ऐसा व्यक्ति शास्ति के रूप में दस लाख रुपए की राशि का संदाय करेगा :

परंतु यह धारा ऐसी किसी आस्ति के संबंध में लागू नहीं होगी, जो एक या अधिक बैंक खातों में ऐसा समग्र अतिशेष है, जो पूर्ववर्ष के दौरान किसी भी समय पांच लाख रुपए के समतुल्य मूल्य से अधिक नहीं है ।

स्पष्टीकरण—रुपए में समतुल्य मूल्य का अवधारण धारा 42 के स्पष्टीकरण में उपबंधित रीति से किया जाएगा ।

44. कर की बकाया के संदाय में व्यतिक्रम के लिए शास्ति—(1) ऐसा प्रत्येक व्यक्ति, जो, यथास्थिति, कर का संदाय करने में व्यतिक्रम करने वाला निर्धारिती है या व्यतिक्रम करने वाला समझा गया निर्धारिती है और ऐसे निर्धारिती द्वारा व्यतिक्रम चालू रखने की दशा में वह कर की बकाया रकम के बराकर रकम की शास्ति का दायी होगा ।

(2) निर्धारिती उपधारा (1) के अधीन किसी शास्ति का दायी होने से मात्र इस तथ्य के कारण प्रविरत नहीं होगा कि उसने ऐसी शास्ति के उद्ग्रहण के पूर्व ही कर का संदाय कर दिया है ।

45. अन्य व्यतिक्रमों के लिए शास्ति—(1) कोई व्यक्ति शास्ति का दायी होगा, यदि वह किसी युक्तियुक्त कारण के बिना,—

(क) किसी कर प्राधिकारी द्वारा इस अधिनियम के अधीन अपनी शक्तियों के प्रयोग में उससे पूछे गए प्रश्न का उत्तर देने में;

(ख) इस अधिनियम के अधीन किन्हीं कार्यवाहियों के अनुक्रम में किसी कथन पर, जिस पर किसी कर प्राधिकारी द्वारा विधिक रूप से उस पर हस्ताक्षर किए जाने की अपेक्षा की जाए, हस्ताक्षर करने में;

(ग) यदि उसके द्वारा कतिपय स्थान और समय पर धारा 8 के जारी समनों के प्रत्युत्तर में साक्ष्य देने या लेखाबहियां या अन्य दस्तावेज प्रस्तुत करने की अपेक्षा की जाए, उपस्थित होने या लेखा बहियों या दस्तावेजों को किसी स्थान पर समय पर प्रस्तुत करने में,

असफल रहता है ।

(2) उपधारा (1) में निर्दिष्ट शास्ति ऐसी राशि होगी, जो पचास हजार रुपए से कम की नहीं होगी किंतु जो दो लाख रुपए तक की हो सकेगी ।

46. प्रक्रिया—(1) कर प्राधिकारी, इस अध्याय के अधीन कोई शास्ति अधिरोपित करने के प्रयोजनों के लिए, किसी निर्धारिती को उससे इस बात का कारण दर्शित करने की अपेक्षा करते हुए कि उस पर शास्ति अधिरोपित क्यों न की जानी चाहिए, सूचना जारी करेगा ।

(2) उपधारा (1) में निर्दिष्ट सूचना—

(क) धारा 41 में निर्दिष्ट शास्तियों के संबंध में किसी सुसंगत पूर्ववर्ष के लिए इस अधिनियम के अधीन किन्हीं कार्यवाहियों के लंबित रहने के दौरान;

(ख) धारा 45 में निर्दिष्ट शास्तियों के संबंध में, उस वित्तीय वर्ष के, जिसमें व्यतिक्रम किया गया है, अन्त से तीन वर्ष की अवधि के भीतर,

जारी की जाएगी ।

(3) इस अध्याय के अधीन कोई शास्ति अधिरोपित करने का कोई आदेश तब तक नहीं किया जाएगा जब तक कि निर्धारिती को सुने जाने का अवसर प्रदान न कर दिया गया हो ।

(4) इस अध्याय के अधीन कोई शास्ति अधिरोपित करने का कोई आदेश संयुक्त आयुक्त [1][या संयुक्त निदेशक] के अनुमोदन से किया जाएगा, यदि—

(क) शास्ति एक लाख रुपए से अधिक है और शास्ति उद्‌गृहीत करने वाला कर प्राधिकारी आय-कर अधिकारी की पंक्ति का है, या

(ख) शास्ति पांच लाख रुपए से अधिक है और शास्ति उद्‌गृहीत करने वाला कर प्राधिकारी सहायक आयुक्त या उपायुक्त [1][या सहायक निदेशक या उपनिदेशक] की पंक्ति का है ।

(5) इस अध्याय के अधीन शास्ति के प्रत्येक आदेश के साथ अधिरोपित शास्ति की रकम के संबंध में मांग की सूचना होगी और मांग की ऐसी सूचना को धारा 13 के अधीन सूचना समझा जाएगा ।

47. शास्ति अधिरोपित करने की परिसीमा का वर्जन—(1) इस अध्याय के अधीन शास्ति अधिरोपित करने का कोई आदेश उस वित्तीय वर्ष के, जिसमें धारा 46 के अधीन शास्ति अधिरोपित करने की सूचना जारी की जाती है, अन्त से एक वर्ष की अवधि के अवसान के पश्चात् पारित नहीं किया जाएगा ।

(2) इस अध्याय के अधीन शास्ति अधिरोपित करने या अधिरोपण की कार्यवाहियों को बन्द करने के किसी आदेश को आयुक्त (अपील), अपील अधिकरण, उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय के आदेश या धारा 23 धारा 24 के अधीन पुनरीक्षण के आदेश को प्रभावी करने के पश्चात् यथापुनरीक्षित अप्रकटित विदेशी आय और आस्ति के निर्धारण के आधार पर, यथास्थिति, पुनरीक्षित या पुन: प्रवर्तित किया जा सकेगा ।

(3) उपधारा (2) के अधीन शास्ति को पुनरीक्षित या पुन: प्रवर्तित करने का कोई आदेश उस मास के, जिसमें आयुक्त (अपील), अपील अधिकरण, उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय का आदेश प्रधान मुख्य आयुक्त या मुख्य आयुक्त या प्रधान आयुक्त या आयुक्त को प्राप्त होता है या धारा 23 या धारा 24 के अधीन पुनरीक्षण आदेश पारित किया जाता है अन्त से छह मास की अवधि के अवसान के पश्चात् पारित नहीं किया जाएगा ।

(4) इस धारा के प्रयोजनों के लिए परिसीमा काल की संगणना करने में निम्नलिखित समय या अवधि को सम्मिलित नहीं किया जाएगा—

(क) धारा 7 के अधीन निर्धारिती को सुनवाई का असवर देने में लगा समय, और

(ख) ऐसी कोई अवधि, जिसके दौरान, इस अध्याय के अधीन शास्ति उद्‌गृहीत किए जाने की किसी कार्यवाही पर किसी न्यायालय के आदेश या व्यादेश द्वारा रोक लगा दी जाती है ।

अध्याय 5

अपराध और अभियोजन

48. अध्याय का किसी अन्य विधि या इस अधिनियम के किसी अन्य उपबंध के अल्पीकरण में न होना—(1) इस अध्याय के उपबंध किसी अन्य विधि के अधीन अपराधों का अभियोजन करने का संबंधी उसके उपबंधों के अतिरिक्त होंगे न कि उनके अल्पीकरण में ।

---

[1] 2018 अधिनियम सं॰ 13 की धारा 219 द्वारा अंत:स्थापित ।

(2) इस अध्याय के उपबंध इस अधिनियम के अधीन ऐसे किसी आदेश, जो किसी व्यक्ति के संबंध में किया जाए या नहीं किया गया है, से स्वतंत्र होंगे और यह इस बात का कोई परिवाद नहीं होगा कि आदेश समय परिसीमा के कारण या किसी अन्य कारण से नहीं किया गया है ।

49. विदेशी आय और आस्ति के संबंध में विवरणी प्रस्तुत करने में असफलता के लिए दंड—यदि कोई व्यक्ति, जो आय-कर अधिनियम की धारा 6 के खंड (6) के अर्थान्तर्गत भारत में मामूली तौर पर निवासी न होने से भिन्न कोई निवासी है, जिसने पूर्ववर्ष के दौरान किसी समय भारत के बाहर अवस्थित किसी आस्ति (जिसके अंतर्गत किसी इकाई में वित्तीय हित भी है) के हिताधिकारी स्वामी के रूप में या अन्यथा कोई आस्ति धारण की है या ऐसी आस्ति का कोई हिताधिकारी था या भारत के बाहर किसी स्रोत से कोई आय थी और जानबूझकर नियत समय के भीतर आय की ऐसी विवरणी प्रस्तुत करने में असफल रहेगा जिसकी उससे उस अधिनियम की धारा 139 की उपधारा (1) के अधीन प्रस्तुत करने की अपेक्षा की जाती है, कठिन कारावास से, जिसकी अवधि छह मास से कम की नहीं होगी, किंतु सात वर्ष तक की हो सकेगी और जुर्माने से दंडनीय होगा :

परंतु इस धारा के अधीन किसी व्यक्ति के विरुद्ध आय-कर अधिनियम की धारा 139 की उपधारा (1) के अधीन नियत समय के भीतर आय की विवरणी प्रस्तुत करने में असफल रहने के लिए कार्यवाही नहीं की जाएगी, यदि उसके द्वारा विवरणी निर्धारण वर्ष के अवसान से पूर्व प्रस्तुत कर दी जाती है ।

50. भारत के बाहर अवस्थित किसी आस्ति (जिसके अंतर्गत किसी इकाई में वित्तीय हित भी है) के बारे में आय की विवरणी में कोई सूचना देने में असफलता के लिए शास्ति—यदि कोई व्यक्ति, जो आय-कर अधिनियम की धारा 6 के खंड (6) के अर्थान्तर्गत भारत में मामूली तौर पर निवासी न होने से भिन्न कोई निवासी है, जिसने उस अधिनियम की धारा 139 की उपधारा (1) या उपधारा (4) या उपधारा (5) के अधीन किसी पूर्ववर्ष के लिए आय की विवरणी प्रस्तुत की है, जानबूझकर ऐसी विवरणी में भारत के बाहर अवस्थित किसी आस्ति (जिसके अंतर्गत किसी इकाई में वित्तीय हित भी है), जो पूर्ववर्ष के दौरान किसी समय उसके द्वारा हिताधिकारी स्वामी के रूप में या अन्यथा धारण की हुई है या जिसमें वह कोई हिताधिकारी था, के संबंध में कोई सूचना देने या भारत के बाहर किसी स्रोत से किसी आय का प्रकटन करने में असफल रहेगा, तो वह कठिन कारावास, जिसकी अवधि छह मास से कम की नहीं होगी किंतु जो सात वर्ष तक की हो सकेगी और जुर्माने से दंडनीय होगा ।

51. जानबूझकर कर के अपवंचन का प्रयास करने के लिए शास्ति—(1) यदि कोई व्यक्ति, जो आय-कर अधिनियम की धारा 6 के खण्ड (6) के अर्थान्तर्गत भारत में मामूली तौर पर निवासी होने से भिन्न कोई निवासी है, जानबूझकर किसी भी रीति से इस अधिनियम के अधीन प्रभार्य या अधिरोपणीय कर, शास्ति या ब्याज के अपवंचन का प्रयास करेगा, तो वह कठिन कारावास से, जिसकी अवधि तीन वर्ष से कम की नहीं होगी, किंतु जो दस वर्ष तक की हो सकेगी और जुर्माने से दंडनीय होगा ।

(2) यदि कोई व्यक्ति जानबूझकर किसी भी रीति से इस अधिनियम अधीन के किसी कर, शास्ति या ब्याज के संदाय के अपवंचन का प्रयास करेगा, तो वह इस अधिनियम के किसी अन्य उपबंध के अधीन उस पर अधिरोपित की जा सकने वाली किसी शास्ति पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, कठिन कारावास से जिसकी अवधि तीन मास से कम की नहीं होगी किंतु जो तीन वर्ष तक की हो सकेगी और न्यायालय के विवेकानुसार जुर्माने से भी दंडनीय होगा ।

(3) इस धारा के प्रयोजनों के लिए इस अधिनियम के अधीन प्रभार्य या अधिरोपणीय किसी कर, शास्ति या ब्याज का या उसका संदाय करने का अपवंचन करने के जानबूझकर प्रयास के अन्तर्गत ऐसा कोई मामला भी सम्मिलित होगा, जहां—

(i) किसी व्यक्ति के कब्जे या नियंत्रण में कोई लेखा बहियां या अन्य दस्तावेज हैं (जो इस अधिनियम के अधीन किसी कार्यवाही से सुसंगत लेखा बहियां या अन्य दस्तावेज हैं) जिनमें कोई मिथ्या प्रविष्टि या कथन अंतर्विष्ट है; या

(ii) कोई व्यक्ति ऐसी लेखा बहियों या अन्य दस्तावेजों में कोई मिथ्या प्रविष्टि या कथन करता है या करवाता है; या

(iii) कोई व्यक्ति ऐसी लेखा बहियों या अन्य दस्तावेजों में जानबूझकर किसी सुसंगत प्रविष्टि या कथन का लोप करता है या लोप करवाता है; या

(iv) कोई व्यक्ति ऐसी अन्य परिस्थिति उत्पन्न करता है, जिसके प्रभावस्वरूप ऐसा व्यक्ति इस अधिनियम के अधीन प्रभार्य या अधिरोपणीय कर, शास्ति या ब्याज या उसके संदाय का अपवंचन करने में समर्थ बन जाएगा ।

52. सत्यापन में मिथ्या कथन के लिए दंड—यदि कोई व्यक्ति, इस अधिनियम के अधीन या उसके अधीन बनाए गए किसी नियम के अधीन किसी सत्यापन में कोई ऐसा कथन करेगा या कोई ऐसा लेखा या विवरण परिदत्त करेगा जो मिथ्या है और जिसके बारे में वह यह जानता है या विश्वास करता है कि वह मिथ्या है या वह ऐसा विश्वास नहीं करता है कि वह सही है, तो वह कठिन कारावास से जिसकी अवधि छह मास से कम की नहीं होगी किंतु जो सात वर्ष तक की हो सकेगी और जुर्माने से दंडनीय होगा ।

53. दुष्प्रेरण के लिए दंड—यदि कोई व्यक्ति, किसी अन्य व्यक्ति को इस अधिनियम के अधीन संदेय कर के संबंध में ऐसा कोई लेखा या कथन या घोषणा करने और उसका परिदान करने के लिए, जो मिथ्या है और जिसके बारे में वह यह जानता है कि वह मिथ्या है या वह यह विश्वास नहीं करता है कि वह सही है या धारा 51 की उपधारा (1) के अधीन कोई अपराध करने के लिए दुष्प्रेरित या उत्प्रेरित करेगा, वह कठिन कारावास से, जिसकी अवधि छह मास से कम की नहीं होगी किंतु जो सात वर्ष तक की हो सकेगी और जुर्माने से दंडनीय होगा ।

54. सदोष मन:स्थिति के बारे में उपधारणा—(1) इस अधिनियम के अधीन किसी अपराध के किसी अभियोजन में, जिसमें अभियुक्त की सदोष मन:स्थिति की अपेक्षा है, न्यायालय ऐसी मन:स्थिति की विद्यमानता की उपधारणा करेगा किंतु यह अभियुक्त के लिए इस तथ्य को साबित करना प्रतिरक्षा होगी कि उसकी उस अभियोजन में आरोपित कृत्य के संबंध में ऐसी मन:स्थिति नहीं थी ।

स्पष्टीकरण—इस उपधारा में "सदोष मन:स्थिति" में किसी आशय, हेतु या किसी तथ्य की जानकारी या किसी तथ्य में विश्वास या विश्वास करने का कारण सम्मिलित है ।

(2) इस धारा के प्रयोजनों के लिए किसी तथ्य को केवल तभी साबित हुआ कहा जाएगा जब न्यायालय उसके किसी युक्तियुक्त संदेह के परे विद्यमान होने का विश्वास करता है न कि केवल तब जब उसकी विद्यमानता अधिसंभाव्यता की प्रबलता द्वारा साबित हुई है ।

55. [1][अभियोजन का प्रधान मुख्य आयुक्त या प्रधान महानिदेशक या मुख्य आयुक्त या महानिदेशक या प्रधान आयुक्त या आयुक्त की पहल पर किया जाना]—(1) किसी व्यक्ति के विरुद्ध धारा 49 से धारा 53 (दोनों सम्मिलित) के अधीन किसी अपराध के लिए कार्यवाही, यथास्थिति, प्रधान आयुक्त या आयुक्त या आयुक्त (अपील) की मंजूरी से ही की जाएगी, अन्यथा नहीं ।

(2) प्रधान मुख्य आयुक्त या मुख्य आयुक्त [1][या प्रधान महानिदेशक या महानिदेशक] उपधारा (1) में निर्दिष्ट कर प्राधिकारियों को ऐसे अनुदेश या निदेश जारी कर सकेगा, जो वह इस धारा के अधीन कार्यवाहियों को संस्थित करने के लिए उचित समझे ।

(3) बोर्ड की इस अधिनियम के अधीन आदेश, अनुदेश या निदेश जारी करने की शक्ति के अन्तर्गत (जिसके अन्तर्गत उसके पूर्वानुमोदन अभिप्राप्त करने के लिए अनुदेश या निदेश भी हैं) इस धारा के अधीन अपराधों की कार्यवाहियों को उचित रूप से संस्थित किए जाने के लिए (जिसके अन्तर्गत एक या अधिक कर निरीक्षकों द्वारा शिकायतों के फाइल किए जाने और उनकी पैरवी किए जाने का प्राधिकार भी है) अन्य कर प्राधिकारी को आदेश, अनुदेश या निदेश जारी करने की शक्ति भी है ।

56. कंपनियों द्वारा अपराध—(1) जहां इस अधिनियम के अधीन कोई अपराध किसी कंपनी द्वारा किया गया है, वहां ऐसा प्रत्येक व्यक्ति, जो उस अपराध के किए जाने के समय उस कंपनी के कारबार के संचालन के लिए उस कंपनी का भरसाधक और उसके प्रति उत्तरदायी था और साथ ही वह कंपनी भी, उस अपराध के दोषी समझे जाएंगे और तदनुसार अपने विरुद्ध कार्यवाही किए जाने और दंडित किए जाने के भागी होंगे ।

(2) उपधारा (1) की कोई बात ऐसे व्यक्ति को दंड का भागी नहीं बनाएगी यदि वह यह साबित कर देता है कि ऐसा अपराध उसकी जानकारी के बिना किया गया था या उसने ऐसे अपराध के किए जाने का निवारण करने के लिए सभी सम्यक् तत्परता बरती थी ।

(3) उपधारा (1) में किसी बात के होते हुए भी, जहां इस अधिनियम के अधीन दंडनीय कोई अपराध किसी कंपनी द्वारा किया गया है और यह साबित हो जाता है कि वह अपराध कंपनी के किसी निदेशक, प्रबंधक, सचिव या अन्य अधिकारी की सहमति या मौनानुकूलता से किया गया है या उस अपराध का किया जाना उसकी किसी उपेक्षा के कारण माना जा सकता है वहां ऐसा निदेशक, प्रबंधक, सचिव या अन्य अधिकारी भी उस अपराध का दोषी समझा जाएगा और तदनुसार अपने विरुद्ध कार्यवाही किए जाने और दंडित किए जाने का भागी होगा ।

(4) जहां इस अधिनियम के अधीन कोई अपराध किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा किया गया है, जो कंपनी है, और ऐसे अपराध के लिए दंड कारावास और जुर्माना है, वहां उपधारा (1) या उपधारा (3) पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना ऐसी कंपनी को जुर्माने से दंडित किया जाएगा और उपधारा (1) में निर्दिष्ट प्रत्येक व्यक्ति या उपधारा (3) में निर्दिष्ट निदेशक, प्रबंधक, सचिव या कंपनी के अन्य अधिकारी इस अधिनियम के उपबंधों के अनुसार अपने विरुद्ध कार्यवाही किए जाने और दंडित किए जाने के भागी होंगे ।

(5) इस धारा में,—

(क) "कंपनी" से कोई निगमित निकाय अभिप्रेत है और इसमें,—

(i) कोई अनिगमित निकाय;

(ii) कोई हिन्दू अविभक्त कुटुम्ब,

सम्मिलित है;

(ख) "निदेशक" से,—

(i) किसी अनिगमित निकाय के संबंध में उस निकाय में कोई सहभागी अभिप्रेत है;

(ii) हिन्दू अविभक्त कुटुम्ब के संबंध में, कुटुम्ब का कोई वयस्क सदस्य अभिप्रेत है; और

---

[1] 2018 के अधिनियम सं॰ 13 की धारा 219 द्वारा प्रतिस्थापित/अंत:स्थापित ।

(iii) कंपनी के संबंध में कोई पूर्णकालिक निदेशक या जहां ऐसा कोई निदेशक नहीं है वहां कोई ऐसा अन्य निदेशक या प्रबंधक या अधिकारी अभिप्रेत है जो कंपनी के कार्यकलापों का भारसाधक है ।

57. अभिलेखों या दस्तावेजों में प्रविष्टियों का सबूत—(1) किसी कर प्राधिकारी की अभिरक्षा में के अभिलेखों या अन्य दस्तावेजों की प्रविष्टियां इस अध्याय के अधीन किसी अपराध के लिए किसी व्यक्ति के अभियोजन की किसी कार्यवाही में साक्ष्य में ग्रहण की जाएंगी ।

(2) उपधारा (1) में निर्दिष्ट प्रविष्टियों को, निम्नलिखित को पेश करके साबित किया जा सकेगा,—

(क) कर प्राधिकारी की अभिरक्षा में के अभिलेख या अन्य दस्तावेज (जिनमें ऐसी प्रविष्टियां हैं); या

(ख) उन प्रविष्टियों की प्रति, जिन्हें उस प्राधिकारी द्वारा, अपने हस्ताक्षर से अपनी अभिरक्षा में के उन अभिलेखों या अन्य दस्तावेजों में अंतर्विष्ट मूल प्रविष्टियों की सही प्रति के रूप में प्रमाणित किया गया है ।

58. द्वितीय और पश्चात्वर्ती अपराधों के लिए दंड—यदि धारा 49 से धारा 53 तक (दोनों सम्मिलित) के अधीन किसी अपराध का दोषसिद्ध कोई व्यक्ति पूर्वोक्त उपबंधों में से किसी उपबंध के अधीन किसी अपराध का पुन: दोषसिद्ध किया गया है तो वह द्वितीय या प्रत्येक पश्चात्वर्ती अपराध के लिए कठिन कारावास के जिसकी अवधि तीन वर्ष से कम की नहीं होगी और जो दस वर्ष तक की हो सकेगी और जुर्माने से, जो पांच लाख रुपए से कम का नहीं होगा किंतु जो एक करोड़ रुपए तक का हो सकेगा, दंडनीय होगा ।

अध्याय 6

अप्रकटित विदेशी आय और आस्तियों के लिए कर अनुपालन

59. अप्रकटित विदेशी आस्ति की घोषणा—इस अध्याय के उपबंधों के अधीन रहते हुए, कोई व्यक्ति इस अधिनियम के प्रारंभ की तारीख को या उसके पश्चात्, केन्द्रीय सरकार द्वारा राजपत्र में अधिसूचित की जाने वाली तारीख को या उसके पहले, भारत के बाहर अवस्थित और 1 अप्रैल, 2016 को आरंभ होने वाले निर्धारण वर्ष से पूर्व किसी निर्धारण वर्ष के लिए आय-कर अधिनियम के अधीन कर से प्रभार्य आय से अर्जित किसी अप्रकटित ऐसी आस्ति के संबंध में,—

(क) जिसके लिए वह आय-कर अधिनियम की धारा 139 के अधीन विवरणी देने में असफल रहा है;

(ख) जिसे वह इस अधिनियम के प्रारंभ की तारीख से पूर्व आय-कर अधिनियम के अधीन उसके द्वारा दी गई आय की विवरणी में प्रकट करने में असफल रहा है;

(ग) जो आय-कर अधिनियम के अधीन विवरणी देने या निर्धारण के लिए या उससे अन्यथा आवश्यक सभी तात्विक तथ्यों को पूर्णत: या सही तौर पर प्रकट करने के लिए ऐसे व्यक्ति की ओर से चूक या असफल रहने के कारण निर्धारण से छूट गई है,

घोषणा कर सकेगा ।

60. कर का प्रभारण—आय–कर अधिनियम में या किसी वित्त अधिनियम में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी भारत के बाहर अवस्थित धारा 59 के अधीन और उसमें विनिर्दिष्ट समय के भीतर घोषित अप्रकटित आस्ति, इस अधिनियम के प्रारंभ की तारीख को ऐसी अप्रकटित आस्ति के मूल्य के तीस प्रतिशत की दर से से प्रभार्य होगी ।

61. शास्ति—आय-कर अधिनियम या किसी वित्त अधिनियम में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, भारत के बाहर अवस्थित अप्रकटित आस्ति की घोषणा करने वाला कोई व्यक्ति, धारा 60 के अधीन प्रभारित कर के अतिरिक्त ऐसे कर के शत-प्रतिशत की दर से शास्ति का दायी होगा ।

62. घोषणा की रीति—(1) धारा 59 के अधीन कोई घोषणा प्रधान आयुक्त या आयुक्त को की जाएगी और यह ऐसे प्ररूप में होगी और ऐसी रीति से सत्यापित की जाएगी, जो विहित की जाए ।

(2) घोषणा पर,—

(i) जहां घोषणाकर्ता एक व्यष्टि है, वहां स्वयं व्यष्टि द्वारा, जहां ऐसा व्यष्टि भारत से अनुपस्थित है, वहां संबद्ध व्यष्टि द्वारा या उसके द्वारा इस निमित सम्यक् रूप से प्राधिकृत किसी व्यक्ति द्वारा और जहां व्यष्टि अपने कार्यकलापों पर ध्यान देने में मानसिक रूप से असमर्थ है, वहां उसके संरक्षक द्वारा या उसकी ओर से कार्य करने के लिए सक्षम किसी अन्य व्यक्ति द्वारा;

(ii) जहां घोषणाकर्ता हिन्दू अविभक्त कुटुम्ब है, वहां कर्ता द्वारा और जहां कर्ता भारत से अनुपस्थित है या अपने कार्यकलापों पर ध्यान देने में मानसिक रूप से असमर्थ है वहां ऐसे कुटुम्ब के किसी अन्य वयस्क सदस्य द्वारा;

(iii) जहां घोषणाकर्ता कोई कंपनी है, वहां उसके प्रबंध निदेशक द्वारा या जहां किसी अपरिहार्य कारण से ऐसा प्रबंध निदेशक घोषणा पर हस्ताक्षर करने में समर्थ नहीं है या जहां कोई प्रबंध निदेशक नहीं है, वहां उसके किसी निदेशक द्वारा;

(iv) जहां घोषणाकर्ता एक फर्म है, वहां उसके प्रबंध भागीदार द्वारा या जहां किसी अपरिहार्य कारण से ऐसा प्रबंध भागीदार घोषणा कर हस्ताक्षर करने में समर्थ नहीं है या जहां उस रूप में कोई प्रबंध भागीदार नहीं है, वहां उसके किसी भागीदार द्वारा, जो अवयस्क नहीं है;

(v) जहां घोषणाकर्ता कोई अन्य संगम है, वहां संगम के किसी सदस्य या उसके प्रधान अधिकारी द्वारा; और

(vi) जहां घोषणाकर्ता कोई अन्य व्यक्ति है, वहां उस व्यक्ति द्वारा या उसकी ओर से कार्य करने के लिए सक्षम किसी अन्य व्यक्ति द्वारा,

हस्ताक्षर किया जाएगा ।

(3) कोई व्यक्ति, जिसने उपधारा (1) के अधीन अपनी आस्ति के संबंध में या किसी अन्य व्यक्ति की आस्ति के संबंध में प्रतिनिधि निर्धारिती के रूप में घोषणा की है, उस उपधारा के अधीन अपनी आस्ति या ऐसे अन्य व्यक्ति की आस्ति के संबंध में कोई अन्य घोषणा करने का हकदार नहीं होगा और कोई ऐसी अन्य घोषणा, यदि की गई है तो शून्य समझी जाएगी ।

63. कर के संदाय के लिए समय—(1) भारत के बाहर अवस्थित अप्रकटित आस्ति के संबंध में धारा 60 के अधीन संदेय कर और धारा 61 के अधीन संदेय शास्ति का संदाय केन्द्रीय सरकार द्वारा राजपत्र में अधिसूचित की जाने वाली तारीख को या उसके पहले किया जाएगा ।

(2) घोषणाकर्ता ऐसे प्रधान आयुक्त या आयुक्त के पास, जिसके समक्ष धारा 59 के अधीन घोषणा की गई थी, उपधारा (1) के अधीन अधिसूचित तारीख को या उसके पूर्व कर और शास्ति के संदाय का सबूत फाइल करेगा ।

(3) यदि कोई घोषणाकर्ता उपधारा (1) के अधीन अधिसूचित तारीख को या उसके पूर्व धारा 59 के अधीन की गई घोषणा की बाबत कर का संदाय करने में असफल रहता है तो उसके द्वारा फाइल की गई घोषणा के बारे में यह समझा जाएगा कि वह इस अध्याय के अधीन कभी भी नहीं की गई थी ।

64. घोषित अप्रकटित विदेशी आस्ति का कुल आय में सम्मिलित न किया जाना— धारा 59 के अनुसार घोषित भारत के बाहर अवस्थित आस्ति में अप्रकटित निवेश की रकम आय-कर अधिनियम के अधीन किसी निर्धारण वर्ष के लिए घोषणाकर्ता की कुल आय में सम्मिलित नहीं की जाएगी, यदि घोषणाकर्ता, धारा 60 में निर्दिष्ट कर का संदाय और धारा 61 में निर्दिष्ट शास्ति का संदाय, धारा 63 की उपधारा (1) के अधीन अधिसूचित तारीख तक कर देता है ।

65. घोषित अप्रकटित विदेशी आय का संपूरित निर्धारणों की अन्तिमता पर प्रभाव न पड़ना—घोषणाकर्ता, घोषित भारत के बाहर अवस्थित अप्रकटित आस्ति के संबंध में, या उस पर संदत्त कर की किसी रकम का आय-कर अधिनियम या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के अधीन किए गए निर्धारण या पुनर्निर्धारण को नए सिरे से आरंभ करने के लिए या ऐसे निर्धारण या पुनर्निर्धारण के संबंध में किसी अपील, निर्देश या अन्य कार्यवाही में किसी मुजरा या अनुतोष का दावा करने का हकदार नहीं होगा ।

66. स्वेच्छया प्रकटित आस्ति के संबंध में कर का प्रतिदेय न होना—धारा 59 के अधीन की गई घोषणा के अनुसरण में, धारा 60 के अधीन संदत्त कर या धारा 61 के अधीन संदत्त शास्ति की रकम प्रतिदेय नहीं होगी ।

67. घोषणाकर्ता के विरुद्ध साक्ष्य में घोषणा का ग्राह्य न होना—तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, धारा 59 के अधीन की गई किसी घोषणा में अंतर्विष्ट कोई बात, धारा 61 के अधीन उद्ग्रहणीय शास्ति से भिन्न शास्ति के अधिरोपण से संबंधित किसी कार्यवाही के प्रयोजन के लिए या आय-कर अधिनियम या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) या विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम, 1999 (1999 का 42) या कंपनी अधिनियम, 2013 (2013 का 18) या सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) के अधीन अभियोजन के प्रयोजनों के लिए घोषणाकर्ता के विरुद्ध साक्ष्य में ग्राह्य नहीं होगी ।

68. तथ्यों के दुर्व्यपदेशन द्वारा घोषणा का शून्य होना— इस अध्याय में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, जहां कोई घोषणा तथ्यों के दुर्व्यपदेशन या उन्हें छिपाकर की गई है वहां उसके बारे में यह समझा जाएगा कि वह इस अध्याय के अधीन कभी भी नहीं की गई थी ।

69. घोषणा में विनिर्दिष्ट आस्तियों के संबंध में धन-कर से छूट—(1) जहां भारत के बाहर अवस्थित अप्रकटित ऐसी आस्ति,—

(क) जिसके संबंध में घोषणाकर्ता 1 अप्रैल, 2015 को या उसके पूर्व आरंभ होने वाले निर्धारण वर्ष के लिए धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) की धारा 14 के अधीन विवरणी फाइल करने में असफल रहा है; या

(ख) जिसे, उक्त निर्धारण वर्ष या वर्षों के लिए उसके द्वारा दी गई शुद्ध धन की विवरणी में नहीं दर्शाया गया है; या

(ग) जिसे उक्त निर्धारण वर्ष या वर्षों के लिए उसके द्वारा प्रस्तुत शुद्ध धन की विवरणी में मूल्य से कम करके बताया गया है,

धारा 59 के अधीन की गई घोषणा में विनिर्दिष्ट नकद (जिसके अंतर्गत बैंक निक्षेप भी हैं), सोना-चांदी या किन्हीं अन्य आस्तियों द्वारा व्यपदिष्ट की गई है, वहां धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) या उसके अधीन बनाए गए किसी नियम में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी,—

(I) घोषणाकर्ता द्वारा, खंड (क) या खंड (ख) में निर्दिष्ट आस्तियों के संबंध में धन-कर संदेय नहीं होगा और ऐसी आस्ति को उक्त निर्धारण वर्ष या वर्षों के लिए उसके शुद्ध धन में सम्मिलित नहीं किया जाएगा;

(II) उतनी रकम, जितनी उक्त निर्धारण वर्ष या वर्षों के लिए शुद्ध धन की विवरणी में खंड (ग) में निर्दिष्ट आस्तियों के मूल्य को कम करके बताई गई है, उस परिमाण तक जिस तक ऐसी रकम ऐसी आस्ति को अर्जित करने के लिए उपयोजित स्वेच्छया प्रकटित आय से अधिक नहीं है, उक्त निर्धारण वर्ष या वर्षों के लिए घोषणाकर्ता के शुद्ध धन की संगणना करने के लिए हिसाब में नहीं ली जाएगी ।

स्पष्टीकरण—जहां धारा 59 के अधीन कोई घोषणा किसी फर्म द्वारा की जाती है, वहां, यथास्थिति खंड (I) में निर्दिष्ट आस्तियों या, खंड (II) में निर्दिष्ट रकम को, यथास्थिति, फर्म के किसी भागीदार के शुद्ध धन की संगणना करने में या फर्म के किसी भागीदार के ब्याज के मूल्य का अवधारण करने में हिसाब में नहीं लिया जाएगा ।

(2) उपधारा (1) के उपबंध तब तक लागू नहीं होंगे, जब तक घोषणाकर्ता द्वारा धारा 63 की उपधारा (1) और उपधारा (2) में विनिर्दिष्ट शर्तें पूरी नहीं कर दी जाती हैं ।

70. आय-कर अधिनियम और धन-कर अधिनियम के अध्याय 5 के कतिपय उपबंधों का लागू होना— विशेष दशाओं में दायित्व से संबंधित आय-कर अधिनियम के अध्याय 15 और उस अधिनियम की धारा 189 के या विशेष दशाओं में निर्धारण के प्रति दायित्व से संबंधित धन-कर अधिनियम के अध्याय 5 के उपबंध, जहां तक वे इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के संबंध में लागू होते हैं, उसी प्रकार लागू होंगे जैसे कि वे, यथास्थिति, आय-कर अधिनियम या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के अधीन कार्यवाहियों के संबंध में लागू होते हैं ।

71. अध्याय का कतिपय व्यक्तियों को लागू न होना—इस अध्याय के उपबंध,—

(क) किसी ऐसे व्यक्ति को लागू नहीं होंगे, जिसके संबंध में विदेशी मुद्रा संरक्षण और तस्करी निवारण अधिनियम, 1974 (1974 का 52) के अधीन निरोध का आदेश दिया गया है:

परन्तु,—

(i) निरोध का ऐसा आदेश, जो एक ऐसा आदेश है जिसको उक्त अधिनियम की धारा 9 या धारा 12क के उपबंध लागू नहीं होते हैं, उक्त अधिनियम की धारा 8 के अधीन सलाहकार बोर्ड की रिपोर्ट पर या सलाहकार बोर्ड की रिपोर्ट प्राप्त होने से पूर्व वापस नहीं लिया गया है; या

(ii) निरोध का ऐसा आदेश, जो एक ऐसा आदेश है, जिसको उक्त अधिनियम की धारा 9 के उपबंध लागू होते हैं, धारा 9 की उपधारा (3) के अधीन पुनर्विलोकन के समय की समाप्ति के पूर्व या उसके आधार पर या उक्त अधिनियम की धारा 9 की उपधारा (2) के साथ पठित धारा 8 के अधीन सलाहकार बोर्ड की रिपोर्ट पर वापस नहीं लिया गया है; या

(iii) निरोध का ऐसा आदेश, जो एक ऐसा आदेश है, जिसको उक्त अधिनियम की धारा 12क के उपबंध लागू होते हैं, उस धारा की उपधारा (3) के अधीन प्रथम पुनर्विलोकन के समय की समाप्ति के पूर्व या उसके आधार पर या उक्त अधिनियम की धारा 12क की उपधारा (6) के साथ पठित धारा 8 के अधीन सलाहकार बोर्ड की रिपोर्ट के आधार पर वापस ले लिय गया है; या

(iv) निरोध का ऐसा आदेश, सक्षम अधिकारिता के न्यायालय द्वारा अपास्त नहीं किया गया है;

(ख) भारतीय दंड संहिता (1860 का 45) के अध्याय 9 या अध्याय 17, स्वापक ओषधि और मन:प्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 (1985 का 61), विधिविरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1967 (1967 का 37), और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (1988 का 49) के अधीन दंडनीय किसी अपराध के संबंध में लागू नहीं होंगे;

(ग) विशेष न्यायालय (प्रतिभूति संव्यवहार अपराध विचारण) अधिनियम, 1992 (1992 का 27) की धारा 3 के अधीन अधिसूचित किसी व्यक्ति को लागू नहीं होंगे;

(घ) भारत के बाहर अवस्थित ऐसी किसी अप्रकटित आस्ति के संबंध में लागू नहीं होंगे, जो आय-कर अधिनियम के अधीन 1 अप्रैल, 2016 को आरंभ होने वाले निर्धारण वर्ष के पूर्व के निर्धारण वर्ष से सुसंगत किसी पूर्ववर्ष के लिए कर से प्रभार्य आय से अर्जित की गई है,—

(i) जहां आय-कर अधिनियम की धारा 142 या धारा 143 की उपधारा (2) या धारा 148 या धारा 153क या धारा 153ग के अधीन सूचना ऐसे निर्धारण वर्ष के संबंध में जारी की गई है और कार्यवाही निर्धारण अधिकारी के समक्ष लंबित है; या

(ii) जहां किसी पूर्ववर्ष में आय-कर अधिनियम की धारा 132 के अधीन तलाशी ली गई है या धारा 132क के अधीन अध्यपेक्षा की गई है या धारा 133क के अधीन सर्वेक्षण किया गया है और उक्त अधिनियम की धारा 143 की उपधारा (2) के अधीन ऐसे पूर्ववर्ष सें सुसंगत निर्धारण वर्ष के लिए सूचना या धारा 153क या धारा 153ग के अधीन कोई सूचना या ऐसे पूर्ववर्ष के पूर्व के किसी पूर्ववर्ष से सुसंगत निर्धारण वर्ष के लिए सूचना जारी नहीं की गई है और ऐसी सूचना के जारी किए जाने का समय समाप्त नहीं हुआ है; या

(iii) जहां कोई सूचना सक्षम प्राधिकारी द्वारा आय-कर अधिनियम की धारा 90 या धारा 90क के अधीन केन्द्रीय सरकार द्वारा किए गए किसी करार के अधीन ऐसी अप्रकटित आस्ति के संबंध में प्राप्त हुई है ।

स्पष्टीकरण—इस उपखंड के प्रयोजन के लिए आस्ति के अंतर्गत कोई बैंक खाता भी आएगा, चाहे उसमें कोई अतिशेष हो अथवा नहीं ।

72. शंकाओं का दूर किया जाना—शंकाओं को दूर करने के लिए, यह घोषित किया जाता है कि—

(क) धारा 69 की उपधारा (1) के स्पष्टीकरण में जैसा अभिव्यक्त रूप से अन्यथा उपबंधित है, उसके सिवाय, इस अध्याय में अंतर्विष्ट किसी बात का यह अर्थ नहीं लगाया जाएगा कि इस अध्याय के अधीन घोषणा करने वाले व्यक्ति से भिन्न किसी व्यक्ति को कोई फायदा, रियायत या उन्मुक्ति प्रदान की गई है;

(ख) जहां कोई घोषणा धारा 59 के अधीन की गई है, किंतु धारा 60 और धारा 61 के अधीन विनिर्दिष्ट समय के भीतर किसी कर और शास्ति का संदाय नहीं किया गया है, वहां इस अधिनियम के अधीन ऐसी आस्ति का मूल्य उस पूर्ववर्ष में कर से प्रभार्य होगा, जिसमें ऐसी घोषणा की गई है;

(ग) जहां कोई आस्ति, इस अधिनियम के प्रारंभ से पूर्व अर्जित की गई है या बनाई गई है, और ऐसी आस्ति के संबंध में इस अध्याय के अधीन कोई घोषणा नहीं की गई है, वहां ऐसी आस्ति उस वर्ष में अर्जित की गई या बनाई गई समझी जाएगी, जिसमें निर्धारण अधिकारी द्वारा धारा 10 के अधीन कोई सूचना जारी की जाती है और तदनुसार इस अधिनियम के उपबंध लागू होंगे ।

अध्याय 7

साधारण उपबंध

73. विदेशों या विनिर्दिष्ट राज्यक्षेत्रों के साथ करार—(1) केंद्रीय सरकार किसी अन्य देश की सरकार के साथ,—

(क) इस अधिनियम के अधीन या उस देश में प्रवृत्त तत्स्थानी विधि के अधीन प्रभार्य अप्रकटित विदेशी आय पर कर के अपवंचन या परिवर्तन को रोकने हेतु जानकारी के आदान-प्रदान के लिए या ऐसे अपवंचन या परिवर्जन के मामलों के अन्वेषण के लिए;

(ख) इस अधिनियम के अधीन और उस देश में प्रवृत्त तत्स्थानी विधि के अधीन कर की वसूली के लिए,

करार कर सकेगी ।

(2) केंद्रीय सरकार, उपधारा (1) में विनिर्दिष्ट प्रयोजनों के लिए भारत के बाहर किसी विनिर्दिष्ट राज्यक्षेत्र की सरकार के साथ करार कर सकेगी ।

(3) केंद्रीय सरकार, अधिसूचना द्वारा ऐसे उपबंध कर सकेगी, जो उपधारा (1) और उपधारा (2) में निर्दिष्ट करारों के कार्यान्वयन के लिए आवश्यक हो ।

(4) भारत में विनिर्दिष्ट कोई संगम भारत के बाहर विनिर्दिष्ट राज्यक्षेत्र में के विनिर्दिष्ट किसी संगम के साथ उपधारा (1) के प्रयोजनों के लिए कोई करार कर सकेगा और केंद्रीय सरकार, अधिसूचना द्वारा ऐसे उपबंध कर सकेगी, जो ऐसे करार को अंगीकार करने और उसके कार्यान्वयन के लिए आवश्यक हों ।

(5) ऐसे किसी पद का, जो इस अधिनियम में या उपधारा (1), उपधारा (2) या उपधारा (4) में निर्दिष्ट करार में प्रयुक्त है, किंतु परिभाषित नहीं है, जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो और इस अधिनियम या करार के उपबधों से असंगत नहीं है, वही अर्थ होगा, जो केंद्रीय सरकार द्वारा जारी की गई अधिसूचना में उसका है और ऐसे अर्थ को उस तारीख से प्रभावी समझा जाएगा जिसको वह करार प्रवृत्त होता है ।

74. साधारणतया सूचना की तामील—(1) इस अधिनियम के अधीन किसी सूचना, समन, अध्यपेक्षा, आदेश या किसी अन्य संसूचना (जिसे इसमें "संसूचना" कहा गया है) की तामील उसमें नामित व्यक्ति को निम्नलिखित द्वारा उसकी एक प्रति परिदत्त करके या संप्रेषित करके की जा सकेगी,—

(क) डाक या ऐसी कुरियर सेवा द्वारा, जो बोर्ड द्वारा अनुमोदित की जाए;

(ख) ऐसी रीति से, जो समन की तामील के प्रयोजनों के लिए सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (1908 का 5) के अधीन उपबंधित की गई है;

(ग) जो सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 (2000 का 21) के अध्याय 4 में यथा उपबंधित किसी इलैक्ट्रानिक अभिलेख के रूप में है या

(घ) दस्तावेजों के प्रेषण के किसी अन्य साधन द्वारा, जिसके अंतर्गत फैक्स संदेश या इलैक्ट्रानिक डाक संदेश भी है, जो विहित किया जाए ।

(2) बोर्ड, उन पतों के लिए उपबंध करने वाले नियम बना सकेगा, जिसके अंतर्गत इलैक्ट्रानिक डाक या इलैक्ट्रानिक डाक संदेश के लिए पता भी है, जिस पर उपधारा (1) में निर्दिष्ट संसूचना उसमें नामित व्यक्ति को परिदत्त या संप्रेषित की जा सकेगी ।

(3) इस धारा में, "इलैक्ट्रानिक डाक" और "इलैक्ट्रानिक डाक संदेश" पदों के वही अर्थ हैं, जो सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 (2000 का 21) की धारा 66क के स्पष्टीकरण में उनके हैं ।

75. सूचनाओं और अन्य दस्तावेजों का अधिप्रमाणन—(1) किसी कर प्राधिकारी द्वारा इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए जारी की जाने तथा तामील की जाने या दी जाने के लिए अपेक्षित कोई सूचना या कोई अन्य दस्तावेज, उस प्राधिकारी द्वारा अधिप्रमाणित किया जाएगा ।

(2) किसी कर प्राधिकारी द्वारा इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए जारी की जाने वाली, तामील की जाने वाली या दी जाने वाली प्रत्येक सूचना या अन्य दस्तावेज यदि अभिहित नामनिर्दिष्ट कर प्राधिकारी का नाम और पद उस पर मुद्रित, स्टांपित या अन्यथा लिखित है तो अधिप्रमाणित किया गया समझा जाएगा ।

(3) इस धारा में अभिहित प्राधिकारी से उपधारा (2) में यथा उपबंधित रीति से अधिप्रमाणन के पश्चात् ऐसी सूचना या दस्तावेज जारी करने, तामील करने या देने के लिए बोर्ड द्वारा प्राधिकृत कोई कर प्राधिकारी अभिप्रेत है ।

76. सूचना का कतिपय परिस्थितियों में विधिमान्य समझा जाना—(1) किसी ऐसी सूचना की, जिसकी इस अधिनियम के अधीन निर्धारण के प्रयोजनों के लिए किसी व्यक्ति पर तामील की जानी अपेक्षित है, इस अधिनियम के उपबंधों के अनुसार उस पर सम्यक् रूप से तामील की गई समझी जाएगी यदि वह व्यक्ति किसी निर्धारण से संबंधित किसी जांच की कार्यवाही में उपसंजात हो गया है या उसने जांच में सहयोग किया है ।

(2) उपधारा (1) में निर्दिष्ट कोई व्यक्ति इस अधिनियम के अधीन किसी कार्यवाही या जांच में कोई आक्षेप करने से प्रभावित होगा कि सूचना की—

(क) उस पर तामील नहीं की गई थी;

(ख) समय के भीतर उस पर तामील नहीं की गई थी; या

(ग) उस पर अनुचित रीति से तामील की गई थी ।

(3) यदि कोई व्यक्ति निर्धारण पूरा होने के पहले आक्षेप करता है तो इस धारा के उपबंध लागू नहीं होंगे ।

77. कतिपय मामलों में अनुमोदित मूल्यांकक द्वारा हाजिरी—(1) कोई निर्धारिती, जो किसी कर प्राधिकारी या अपील अधिकरण के समक्ष किसी आस्ति के मूल्यांकन से संबंधित किसी मामले में उपस्थित होने के लिए हकदार या अपेक्षित है, ऐसे नियमों द्वारा, जो विहित किए जाएं, प्रधान आयुक्त या आयुक्त द्वारा अनुमोदित मूल्यांकक के माध्यम से उपस्थित हो सकेगा ।

(2) उपधारा (1) के उपबंध किसी ऐसे मामले में लागू नहीं होंगे, जहां निर्धारिती से धारा 8 के अधीन शपथ या प्रतिज्ञान पर परीक्षा के लिए व्यक्तिगत रूप से हाजिर होना अपेक्षित है ।

78. प्राधिकृत प्रतिनिधि के द्वारा हाजिरी—(1) कोई निर्धारिती, जो किसी कर प्राधिकारी या अपील अधिकरण के समक्ष इस अधिनियम के अधीन किसी कार्यवाही के संबंध में उपस्थित होने के लिए हकदार या अपेक्षित है, प्राधिकृत प्रतिनिधि के माध्यम से उपस्थित हो सकेगा ।

(2) उपधारा (1) के उपबंध किसी ऐसे मामले में लागू नहीं होंगे, जहां निर्धारिती से धारा 8 के अधीन शपथ या प्रतिज्ञान पर परीक्षा के लिए व्यक्तिगत रूप से हाजिर होना अपेक्षित है ।

(3) इस धारा में "प्राधिकृत प्रतिनिधि" से निर्धारिती द्वारा अपनी ओर से हाजिर होने के लिए लिखित रूप में प्राधिकृत व्यक्ति अभिप्रेत है, जो—

(क) किसी रीति में निर्धारिती से संबंधित है या निर्धारिती द्वारा नियमित रूप से नियोजित व्यक्ति है;

(ख) ऐसे अनुसूचित बैंक का कोई अधिकारी, जिसमें निर्धारिती चालू खाता रखता है या अन्य नियमित व्यवहार करता है;

(ग) ऐसा विधि व्यवसायी है, जो भारत में किसी सिविल न्यायालय में विधि व्यवसाय करने के लिए हकदार है;

(घ) कोई लेखाकार है;

(ङ) ऐसा व्यक्ति है, जिसने बोर्ड द्वारा इस निमित्त मान्यताप्राप्त कोई लेखाकर्म परीक्षा पास की है;

(च) ऐसा कोई व्यक्ति है, जिसने ऐसी शैक्षणिक अर्हताएं अर्जित की हैं, जो विहित की जाएं ।

(4) निम्नलिखित व्यक्ति उपधारा (1) के अधीन निर्धारिती का प्रतिनिधित्व करने के लिए अर्ह नहीं होंगे, अर्थात्:—

(क) ऐसा व्यक्ति, जिसे सरकारी सेवा से पदच्युत किया गया है या हटाया गया है;

(ख) ऐसा विधि व्यवसायी या लेखाकार, जो किसी ऐसे प्राधिकारी द्वारा अपनी वृत्तिक हैसियत में अवचार का दोषी पाया जाता है, जो उसके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवहियां संस्थित करने का हकदार है;

(ग) ऐसा व्यक्ति, जो विधि व्यवसायी या लेखाकार नहीं है, ऐसे प्राधिकारी द्वारा, जो विहित किया जाए, किन्हीं कर कार्यवाहियों के संबंध में अवचार का दोषी पाया जाता है ।

(5) प्रधान मुख्य आयुक्त या मुख्य आयुक्त, अवचार की प्रकृति को ध्यान में रखते हुए, लिखित आदेश द्वारा ऐसी अवधि विनिर्दिष्ट कर सकेगा, जिस तक उपधारा (4) के अधीन निरर्हता जारी रहेगी और ऐसी निरर्हता,—

(i) उपधारा (4) के खंड (क) और खंड (ग) की दशा में, दस वर्ष की अवधि से अधिक की नहीं होगी;

(ii) उपधारा (4) के खंड (ख) की दशा में, ऐसी अवधि से अधिक की नहीं होगी, जिसके लिए विधि व्यवसायी या लेखाकार व्यवसाय करने का हकदार नहीं है ।

(6) ऐसे व्यक्ति को प्राधिकृत प्रतिनिधि के रूप में हाजिर होने के लिए अनुज्ञात नहीं किया जाएगा, यदि उसने कोई कपट या तथ्यों का ऐसा दुर्व्यपदेशन किया है, जिसके परिमाणस्वरूप राजस्व की हानि हुई है और प्रधान मुख्य आयुक्त या मुख्य आयुक्त के आदेश द्वारा उस व्यक्ति को ऐसा घोषित किया गया है ।

स्पष्टीकरण—इस धारा में, 'लेखाकार' से चार्टर्ड अकाउंटेंट अधिनियम, 1949 (1949 का 38) की धारा 2 की उपधारा (1) के खंड (ख) में यथा परिभाषित ऐसा चार्टर्ड अकाउंटेंट अभिप्रेत है, जिसके पास अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) के अधीन व्यवसाय का विधिमान्य प्रमाणपत्र है ।

79. आय, आस्ति मूल्य और कर का पूर्णांकन—(1) इस अधिनियम के अनुसार संगणित अप्रकटित विदेशी आय और आस्ति की रकम को एक सौ रुपए के निकटतम गुणज तक पूर्णांकित किया जाएगा ।

(2) इस अधिनियम के अधीन निर्धारिती द्वारा संदेय या प्राप्य किसी रकम को दस रुपए के निकटतम गुणज तक पूर्णांकित किया जाएगा ।

(3) उपधारा (1) या उपधारा (2) के अधीन पूर्णांकन करने की पद्धति वह होगी, जो विहित की जाए ।

80. अपराधों का संज्ञान—महानगर मजिस्ट्रेट या प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट के न्यायालय से अवर कोई न्यायालय इस अधिनियम के अधीन किसी अपराध का विचारण नहीं करेगा ।

81. कतिपय आधारों पर निर्धारण का अविधिमान्य न होना—इस अधिनियम के उपबंधों में से किसी के अनुसरण में किया गया निर्धारण या जारी की गई सूचना, समन या ग्रहण की गई अन्य कार्यवाहियां या तात्पर्यित रूप से किया गया निर्धारण या जारी की गई सूचना, समन या ग्रहण की गई अन्य कार्यवाहियां, ऐसे निर्धारण, सूचना, समन या अन्य कार्यवाही में मात्र किसी भूल, त्रुटि या लोप के कारण अविधिमान्य नहीं होंगी या अविधिमान्य नहीं समझी जाएंगी, यदि ऐसा निर्धारण, सूचना, समन या अन्य कार्यवाही सारवान् और प्रभावी रूप से इस अधिनियम के आशय और प्रयोजन के अनुरूप या अनुसार है ।

82. सिविल न्यायालयों में वादों का वर्जन—(1) इस अधिनियम के अधीन की गई किसी कार्यवाही या किए गए किसी आदेश को अपास्त करने या उपांतरित करने के लिए किसी सिविल न्यायालय में कोई वाद नहीं लाया जाएगा ।

(2) इस अधिनियम के अधीन सद्भावपूर्वक की गई या किए जाने के लिए आशयित किसी बात के लिए सरकार या सरकार के किसी अधिकारी के विरुद्ध कोई अभियोजन, वाद या अन्य कार्यवाही नहीं होगी ।

83. इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए आय-कर के कागजपत्रों का उपलब्ध कराया जाना—आय-कर अधिनियम में किसी बात के होते हुए भी, उस अधिनियम के उपबंधों के अधीन किए गए या प्रस्तुत या उक्त अधिनियम के प्रयोजनों के लिए अभिप्राप्त या एकत्रित किसी कथन या विवरणी में अंतर्विष्ट सभी सूचना का उपयोग इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए किया जा सकेगा ।

84. आय-कर अधिनियम के उपबंधों का लागू होना—आय-कर अधिनियम की धारा 90 की उपधारा (1) के खंड (ग) और खंड (घ), धारा 90क की उपधारा (1) के खंड (ग) और खंड (घ), धारा 119, धारा 133, धारा 134, धारा 135, धारा 138, अध्याय 15, धारा 237, धारा 240, धारा 245, धारा 280, धारा 280क, धारा 280ख, धारा 280घ, धारा 281, धारा 281ख और धारा 284 के उपबंध आवश्यक उपांतरणों के साथ इस प्रकार लागू होंगे, मानो उक्त उपबंधों में आय-कर की बजाय अप्रकटित विदेशी आय और आस्ति के प्रति निर्देश किया गया है ।

85. नियम बनाने की शक्ति—(1) बोर्ड, केन्द्रीय सरकार के अनुमोदन के अधीन रहते हुए राजपत्र में अधिसूचना द्वारा इस अधिनियम के उपबंधों को कार्यान्वित करने के लिए नियम बना सकेगा ।

(2) विशिष्टतया और पूर्वगामी शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ऐसे नियमों में निम्नलिखित सभी या किन्हीं विषयों के लिए उपबंध किया जा सकेगा, अर्थात्:—

(क) धारा 3 की उपधारा (2) में निर्दिष्ट किसी अप्रकटित विदेशी आस्ति के मूल्य का अवधारण करने की रीति;

(ख) इस अधिनियम के प्रयोजनों में से किसी के लिए विहित किए जाने वाले कर प्राधिकारी;

(ग) धारा 13 के अधीन मांग की सूचना की तामील करने का प्ररूप और रीति;

(घ) वह प्ररूप, जिसमें अपील, पुनरीक्षण या प्रति-आक्षेप इस अधिनियम के अधीन फाइल किए जा सकेंगे, वह रीति, जिसमें वे सत्यापित किए जा सकेंगे और उसके संबंध में संदेय फीस;

(ङ) वह प्ररूप, जिसमें कर वसूली अधिकारी धारा 31 की उपधारा (1) के अधीन कर बकाया की विवरणी तैयार कर सकेगा;

(च) वह रीति, जिसमें राशि धारा 32 की उपधारा (2) या उपधारा (5) के अधीन केन्द्रीय सरकार के जमा खाते में संदत्त की जानी होगी;

(छ) वह रीति, जिसमें कर वसूली अधिकारी धारा 33 की उपधारा (2) में निर्दिष्ट कोई प्रमाणपत्र भेजेगा;

(ज) वह प्ररूप, जिसमें धारा 62 की उपधारा (1) में निर्दिष्ट कोई घोषणा की जानी होगी और वह रीति, जिसमें उसे सत्यापित किया जाना होगा;

(झ) धारा 74 की उपधारा (1) के खंड (घ) के अधीन दस्तावेजों के पारेषण के साधन;

(ञ) धारा 77 के अधीन प्रधान आयुक्त या आयुक्त द्वारा किसी मूल्यांकक के अनुमोदन की प्रक्रिया;

(ट) धारा 78 की उपधारा (3) के खंड (च) के अधीन प्राधिकृत प्रतिनिधि होने के लिए अपेक्षित शैक्षिक अर्हताएं;

(ठ) धारा 78 की उपधारा (4) के खंड (ग) के अधीन कर प्राधिकारी;

(ड) धारा 79 की उपधारा (1) या उपधारा (2) में निर्दिष्ट रकम का पूर्णांकन किए जाने की पद्धति;

(ढ) कोई अन्य विषय, जो इस अधिनियम द्वारा विहित किया जाना है या विहित किया जाए ।

(3) इस धारा द्वारा प्रदत्त नियम बनाने की शक्ति के अंतर्गत नियमों को या उनमें से किसी को उस तारीख से, जो इस अधिनियम के प्रारंभ के पूर्व की तारीख न हो, भूतलक्षी प्रभाव देने की शक्ति भी है, और ऐसे किसी नियम को इस प्रकार भूतलक्षी रूप से प्रभावी नहीं किया जाएगा, जिससे कि निर्धारितियों के हितों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता हो ।

(4) इस अधिनियम के अधीन केन्द्रीय सरकार द्वारा बनाया गया प्रत्येक नियम, बनाए जाने के पश्चात् यथाशीघ्र, संसद् के प्रत्येक सदन के समक्ष, जब वह सत्र में हो, कुल तीस दिन की अवधि के लिए रखा जाएगा । यह अवधि एक सत्र में अथवा दो या अधिक आनुक्रमिक सत्रों में पूरी हो सकेगी । यदि उस सत्र के या पूर्वोक्त आनुक्रमिक सत्रों के ठीक बाद के सत्र के अवसान के पूर्व दोनों सदन उस नियम में कोई परिवर्तन करने के लिए सहमत हो जाएं तो तत्पश्चात् वह ऐसे परिवर्तित रूप में ही प्रभावी होगा । यदि उक्त अवसान के पूर्व दोनों सदन सहमत हो जाएं कि वह नियम नहीं बनाया जाना चाहिए तो तत्पश्चात् वह निष्प्रभाव हो जाएगा । किंतु नियम के ऐसे परिवर्तित या निष्प्रभाव होने से उसके अधीन पहले की गई किसी बात की विधिमान्यता पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा ।

86. कठिनाइयों को दूर करने की शक्ति—(1) यदि इस अधिनियम के उपबंधों को प्रभावी करने में कोई कठिनाई उत्पन्न होती है तो केन्द्रीय सरकार ऐसे आदेश द्वारा, जो इस अधिनियम के उपबंधों से असंगत न हो, उस कठिनाई को दूर कर सकेगी:

परंतु ऐसा कोई आदेश इस अधिनियम के उपबंधों के प्रवृत्त होने की तारीख से दो वर्ष की अवधि की समाप्ति के पश्चात् नहीं किया जाएगा ।

(2) इस धारा के अधीन किया गया प्रत्येक आदेश संसद् के प्रत्येक सदन के समक्ष रखा जाएगा ।

87. 1963 के अधिनियम संख्यांक 54 की धारा 2 का संशोधन—केन्द्रीय राजस्व बोर्ड अधिनियम, 1963 की धारा 2 के खंड (ग) के उपखंड (1) में,—

(क) मद (ix) के अंत में आने वाले "और" शब्द का लोप किया जाएगा; और

(ख) इस प्रकार संशोधित मद (ix) के पश्चात्, निम्नलिखित मद अंत:स्थापित की जाएगी, अर्थात् :

"(x) काला धन (अप्रकटित विदेशी आय और आस्ति) और कर अधिरोपण अधिनियम, 2015; और" ।

88. 2003 के अधिनियम संख्यांक 15 का संशोधन—धन-शोधन निवारण अधिनियम, 2002 की अनुसूची के भाग ग में, भारतीय दंड संहिता (1860 का 45) के अध्याय 18 के अधीन संपत्ति के विरुद्ध अपराधों से संबंधित प्रविष्टि (3) के पश्चात् निम्नलिखित प्रविष्टि अंत:स्थापित की जाएगी, अर्थात्:—

"(4) काला धन (अप्रकटित विदेशी आय और आस्ति) और कर अधिरोपण अधिनियम, 2015 की धारा 51 में निर्दिष्ट किसी कर, शास्ति या ब्याज के अपवंचन के स्वैच्छिक प्रयास का अपराध ।" ।

———